पंजीयन संख्या : 68939/98

# ज्ञान तत्व

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

APR 2025

अंक - 6

468

## विश्व की प्रमुख समस्याएं और समाधान 3

लोक स्वराज्य लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी को कम करने में बहुत सहायक हो सकता है। इस कार्य के लिए सबसे पहला कदम यह उठना चाहिए कि किसी भी देश का संविधान तंत्र अकेले ही संशोधित न कर सके। या तो लोक द्वारा बनाई गई किसी अलग व्यवस्था से संशोधित हो अथवा दोनों की सहमति अनिवार्य हो। उसके साथ-साथ परिवार तथा स्थानीय इकाईयों को भी सम्प्रभुता सम्पन्न मानने के बाद कुछ थोडे से महत्वपूर्ण अधिकार तंत्र के पास रहने चाहिए।

## नई समाज व्यवस्था 5

## 'स्वराज का पुनर्जागरण' कार्यक्रम की समीक्षा- 12

# सिंहावलोकन


**नई समाज व्यवस्था**

5 संविधान संशोधन के लिए भी दो अलग-अलग इकाइयां होंगी एक संविधान सभा होगी और दूसरा तंत्र होगा इस तरह दोनों की स्वीकृति से ही संविधान संशोधित होगा

4 **पाठकों के प्रश्नों के उत्तर**

9 **संघ और सावरकरवाद-**

8 **राजनैतिक चर्चा**

7 सामाजिक विषयों में राजनैतिक हस्तक्षेप-

11 **ज़ूम चर्चा कार्यक्रम का सारांश**



**पत्र व्यवहार का पता**

**बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021**

website : margdarshak.info

**प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल**

**9617079344**

mail : Support@margdarshak.info


ज्ञान केन्द्र विचार, समन्वय और परिवर्तन के तीर्थ

# विश्व की प्रमुख समस्याएं और समाधान

बजरंग मुनि
प्रधान संपादक

यदि हम विश्व की सामाजिक स्थिति का सामाजिक आकलन करे तो भारत में भौतिक उन्नति तो बहुत तेजी से हो रही है किन्तु नैतिक उन्नति का ग्राफ धीरे-धीरे गिरता जा रहा है। भारत में तो प्रगति और गिरावट के बीच की दूरी बहुत तेजी से बढ़ रही है किन्तु समुचे विश्व में भी दूरी बढ़ती ही जा रही है, भले ही इसकी गति कम ही क्यों न हो। सारे विश्व में जितनी हत्याएं या अन्य अपराध अपराधियों के द्वारा हो रहे हैं,उससे कई गुना अधिक धर्म अथवा राज्य व्यवस्थाओं के आपसी टकराव से हो रहे हैं। मानवता की सुरक्षा के नाम पर जितनी सुरक्षा हो रही है उससे कई गुना ज्यादा मानवता का हनन हो रहा है। वैसे तो सम्पूर्ण विश्व में अनेक प्राकृतिक सामाजिक राजनैतिक समस्याएं व्याप्त हैं किन्तु उन सब में भी कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं चिन्हित की गई हैं जिनके समाधान का कोई मार्ग खोजना आवश्यक है। मैं स्पष्ट कर दूॅ किपिछले कई दशकों से ये समस्याएं सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी ही है तथा लगातार बढ़ती जा रही है-

(1) निष्कर्ष निकालने में विचार मंथन की जगह प्रचार का अधिक प्रभावकारी होना।

(2) संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरी।

(3) राजनीति, धर्म और समाज सेवा का व्यवसायीकरण।

(4) भौतिक पहचान का संकट।

(5) समाज का टूटकर वर्गों में बदलना।

(6) राज्य द्वारा दायित्व और कर्तव्य की परिभाषाओं को विकृत करना।

(7) मानव स्वभाव तापवृद्धि।

(8) मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि।

(9) धर्म और विज्ञान के बीच बढ़ती दूरी।

(1) आज सम्पूर्ण विश्व में प्रचार करने की होड़ मची हुई है। अनेक असत्य सत्य के समान स्थापित हो गये है, तथा लगातार होते जा रहे है। भावनाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा विचार मंथन को कमजोर या किनारे किया जा रहा है। विचार मंथन तथा विचारकों का अभाव हो गया है और प्रचार के माध्यम से तर्क को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। संसद तक में विचार मंथन का वातावरण नहीं दिखता। कभी-कभी तो संसद में भी बल प्रयोग की स्थिति पैदा होने लगी है। इसके समाधान के लिए उचित होगा कि विचार, शक्ति, व्यवसाय और श्रम के आधार पर योग्यता रखने वालो को बचपन से ही अलग-अलग प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो। प्रवृत्ति और क्षमता का अलग-अलग टेस्ट हो। विधायिका, अनुसंधान न्याय आदि के क्षेत्र विचारको तथा अनुभवी लोगों के लिए आरक्षित कर दिया जाये। इसी तरह अन्य क्षेत्र भी योग्यता अनुसार आरक्षित किए जा सकते है।

(2) सारी दुनिया में राज्य और समाज के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ता जा रहा है। समाज के आंतरिक मामलों में भी राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। परिवार, गांव की आतंरिक व्यवस्था में भी राज्य निरंतर हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पास समेट रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र से बदलकर लोक नियुक्त तंत्र तक सीमित की जा रही है। संविधान तंत्र और लोक के बीच पुल का काम करता है किन्तु संविधान संशोधन में भी तंत्र निरंतर लोक को बाहर करता जारहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सुझाव है कि लोकतंत्र की जगह सम्पूर्ण विश्व में लोक स्वराज्य की दिशा में बढ़ा जाये। लोक स्वराज्य लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी को कम करने में बहुत सहायक हो सकता है। इस कार्य के लिए सबसे पहला कदम यह उठना चाहिए कि किसी भी देश का संविधान तंत्र अकेले ही संशोधित न कर सके। या तो लोक द्वारा बनाई गई किसी अलग व्यवस्था से संशोधित हो अथवा दोनों की सहमति अनिवार्य हो। उसके साथ-साथ परिवार तथा स्थानीय इकाईयों को भी सम्प्रभुता सम्पन्न मानने के बाद कुछ थोडे से महत्वपूर्ण अधिकार तंत्र के पास रहने चाहिए।

(3) सारी दुनिया में समाज व्यवस्था की जगह पूॅजीवाद का विस्तार हो रहा है। प्राचीन समय में विचारकों और समाज सेवियों को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था,राजनेताओं से भी उपर। किन्तु वर्तमान समय में विचारको और समाज सेवियों का अभाव हो गया है। यहां तक कि धर्मगुरु, समाज सेवी राजनेता सभी किसी न किसी रुप में धन बटोरने में लग गये है। समाज सेवा के नाम पर एनजीओ के बोर्ड लगाकर धन इकट्ठा किया जा रहा है। सारी दुनिया के राजनेताओं में धन संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती जा रही समस्या के समाधान के लिए हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि सम्मान, शक्ति, सुविधा कही भी एक जगह किसी भी रुप में इक्टठी न हो जाये। जो व्यक्ति इच्छा और क्षमता रखता है, वह सम्मान शक्ति और सुविधा में से किसी एक का चयन कर ले किन्तु यह आवश्यक है कि उसे अन्य दो की इच्छा त्यागनी होगी। इन तीनों के बीच खुली और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो सकती है। किन्तु श्रमजीवियों को मूलभूत आवश्यकताओं की गारण्टी व्यवस्था दे। यह व्यवस्था कुछ कठिन अवश्य है किन्तु इसके अतिरिक्त कोई अन्य समाधान नहीं है।

(4) प्राचीन समय में गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था बनाकर व्यक्तियों की अलग-अलग पहचान बनाई गई थी। यह पहचान यज्ञोपवीत के माध्यम से अलग-अलग होती थी। संन्यासियों के लिए भी अलग वेशभूषा का प्रावधान था। विवाहित,अविवाहित की भी पहचान अलग थी। यहां तक कि समाज बहिष्कृत लोगों को भी अलग से पहचाना जा सकता था। दुनिया के अनेक देशों में अधिवक्ता, पुलिस, न्यायाधीश आदि की भी ऐसी अलग-अलग पहचान होती थी कि कोई अन्य भ्रम में न पड़ सके। यदि बिना किसी व्यवस्था के इस प्रकार की नकली पहचान सुविधाजनक हो जाये तो अव्यवस्था फैलना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में धीरे-धीरे ये ही हो रहा है। अब विद्वान, संन्यासी, फकीर, समाज सेवी बिना किसी योग्यता और परीक्षा के नकली पहचान बनाने में सफल हो जा रहे है। एनजीओ का बोर्ड लगाकर कोई मानवाधिकारीहो जा रहा है, तो कोई पर्यावरणवादी जिनका दूर-दूर तक न मानवाधिकार से कोई संबंध है, न ही पर्यावरण से। ऐसे लोग व्यवस्था को ब्लैकमेल भी करने लगे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी पहचान को तब तक प्रतिबंधित कर देना चाहिए जब तक कि उसने किसी स्थापित व्यवस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो, साथ ही नकली प्रमाण पत्रों पर भी कठोर दण्ड की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।

(5) पूरे विश्व में वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष की आंधी चल रही है। वर्ग समन्वय लगातार टूट रहा है तथा वर्ग विद्वेष बढ़ रहा है। प्रवृत्ति कि आधार पर दो ही वर्ग हो सकते है- (1) शरीफ (2) बदमाश। इस सामाजिक वर्ग निर्माण की जगह धर्म-जाति, भाषा, राष्ट्र, उम्र,लिंग, गरीब-अमीर, किसान-मजदूर ,गांव-शहर जैसे अन्य अनेक वर्ग बन रहे है तथा बनाये जा रहे है। बिल्लयों के बीच बंदर के समान हमारी शासन व्यवस्था वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष के माध्यम से समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके अपने को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास बहुत घातक है। समाज को चाहिए कि वह प्रवृत्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के वर्ग निर्माण को तत्काल अवांछित घोषित कर दे। साथ ही वर्तमान समय में बन चुके वर्गो में भी वर्ग समन्वय की भावना विकसित की जाये।

(6) प्राकृतिक रुप से दो ही कार्य करने अवशयक होते है- (1) व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा (2) व्यक्ति को सहजीवन की ट्रेनिंग। राज्य का दायित्व होता है कि वह व्यक्ति की न्याय और सुरक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता को सुरक्षित करे। समाज का दायित्व होता है कि वह व्यक्ति को सहजीवन की ट्रेनिंग दे। पूरी दुनिया में राज्य दायित्व और स्वैच्छिक कर्तव्य का अंतर या तो भूल गया अथवा जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहा है। जनकल्याणकारी कार्य राज्य के स्वैच्छिक कर्तव्य होते है, दायित्व नहीं। राज्य समाज को गुलाम बनाकर रखने के उउद्देश्य से जनकल्याणकारी कार्यो को अपने दायित्व घोषित करता है। इस भ्रम निर्माण से सुरक्षा और न्याय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा और न्याय

प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है जबकि राज्य द्वारा दी गई अन्य सुविधायें व्यक्ति का अधिकार नहीं होता किन्तु राज्य द्वारा जनकल्याणकारी कार्यों को अपना दायित्व मान लेने से आम नागरिक इन सुविधाओं को अपना अधिकार समझने लगते है। इस भ्रम के कारण ही समाज में अनेक टकराव उत्पन्न हो रहे है। आम लोग राज्य के मुखापेक्षी हो गये है। क्योंकि सुविधा लेना प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अधिकार मान लिया है।

समाधान के लिए राज्य को सुरक्षा और न्याय तक सीमित हो जाना चाहिए। जनकल्याण के अन्य कार्य राज्य अतिरिक्त कर्तव्य के रुप में चाहे तो कर सकता है किन्तु यह उसका दायित्व नहीं होगा और न ही राज्य उसके लिए समाज पर कोई बाध्यकारी टैक्स लगा सकता है।

(7) लगातार मानव स्वभाव आवेश, हिंसा, प्रति हिंसा की दिश में बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का वास्तविक आशय मानवस्वभाव तापवृद्धि होता है जो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। किन्तु हम मानव स्वभाव तापवृद्धि के स्थान पर पर्यावरणीय तापवृद्धि को अधिक महत्व दे रहे है। पर्यावरण की भी चिंता होनी चाहिए किन्तु मानव स्वभाव तापवृद्धि की तुलना में पर्यावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानना गलत है। इस तापवृद्धि के कारण सारी दुनिया में हिंसक टकराव बढ़ रहे है। पश्चिमी जगत ऐसे टकरावों से अपने आर्थिक लाभ उठाकर संतुष्ट हो जाता है। व्यक्ति के स्वभाव में आक्रोश बढ़ाने का मुख्य कारण है व्यक्ति की असीम स्वतन्त्रता। प्रकृतिक रूप से व्यक्ति को असीम स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है किंतु सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़ना उसकी अनिवार्य मजबूरी भी है। स्पष्ट है कि व्यक्ति की उद्दंडता पर नियंत्रण की पहली जिम्मेदारी परिवार की होनी चाहिए जो अभी नहीं है। व्यक्ति को अनुसशित करने का पूरा अधिकार परिवार का होना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए हमें चाहिए कि सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त अन्य सारी व्यवस्था राज्य से लेकर परिवार, गांव, जिला, प्रदेश तथा केन्द्रिय समाज तक बांट दी जावें। इससे राज्य सफलतापूर्वक न्याय और सुरक्षा को संचालित कर सकेगा, तथा अन्य कार्य भी सामाजिक ईकाइयों राज्य मुक्त अवस्था में ठीक से कर पायेंगी।

(8) सम्पूर्ण विश्व में मानव स्वभाव में स्वार्थ बढ़ रहा है। स्वार्थ के कारण अनेक प्रकार के टकराव बढ़ रहे है। स्वार्थ के दुष्प्रभाव से ही परिवार व्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो रही है तथा समाज व्यवस्था में भी लगातार टूटन आ रही है। स्वार्थ लगातार मानव स्वभाव में बढ़ता जा रहा है। कमजोरों का शोषण आम बात हो गई है। आमतौर पर व्यक्ति अपने मानवीय कर्तव्यों को भी भूल रहा है। स्वार्थ के कारण ही सम्पत्ति के झगडे पैदा हो रहे है।

मानव स्वभाव में स्वार्थ के बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण है पश्चिम का सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार। अभी तक सम्पत्ति की तीन व्यवस्थाएं मानी गई है-(1) व्यक्तिगत सम्पत्ति (2) सार्वजनिक सम्पत्ति जो साम्यवाद का सिद्धांत है तथा असफल हो चुका है। (3) गांधी जी का ट्रस्टीशिप जो अभी तक अस्पष्ट है। यही कारण है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिद्धांत लगातार बढ़ रहा है। इस समस्या का समाधान संभव है। व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा ट्रस्टी-शिप को मिला कर एक नया सिद्धांत बना है जिसमें सम्पत्ति परिवार की मानी जायेगी तथा परिवार में रहते हुए व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का ट्रस्टी मात्र होगा, मालिक नहीं। इस संशोधन से स्वार्थ वृद्धि पर अंकुश लगना संभव है।

(9) धर्म और विज्ञान के बीच भी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जब से धर्म ने गुणात्मक स्वरुप छोड़कर संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण किया है तब से उसमें लगातार रूढ़िवाद बढ़ता जा रहा है। रूढ़िवाद धर्म को विज्ञान से बहुत दूर ले जाता है। रूढ़िवाद के कारण ही भावनाओं का विस्तार होता है तथा विचार शक्ति घटती है। जबकि विज्ञान विचार के माध्यम से निष्कर्ष निकालता है तथा गलत को सुधारने की प्रक्रिया में लगा रहता है। इसके कारण भी पूरे विश्व में अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। पहले तो इस्लाम ही रूढ़िवाद का एकमात्र पोशक था किन्तु अब तो धीरे-धीरे यह बीमारी हिन्दुओं में भी बढ़ती जा रही है।

इसके समाधान के लिए रूढ़िवाद की जगह यथार्थवाद को प्रोत्साहित करना होगा। यथार्थवाद और विज्ञान के बीच तालमेल होने से इस समस्या का समाधान संभव है।

उपरोक्त नौ समस्याओं के अतिरिक्त भी समाज में अनेक समस्याएं व्याप्त है जो परिवार से लेकर सारे विश्व तक को प्रभावित करती है किन्तु मैंने उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को इंगित करके समाधान का प्रयास किया है। समाधान में से भी कई बाते एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र की जगह लोकस्वराज्य ,व्यक्तिगत सम्पत्ति की जगह पारिवारिक सम्पत्ति, परम्परागत परिवार व्यवस्था की जगह लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था, जन्मना वर्ण व्यवस्था की जगह प्रवृत्ति अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा संविधान संशोधन के असीम अधिकारों को संसद से निकालना जैसे कुछ महत्वपूर्ण सुधार विश्व समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते है।

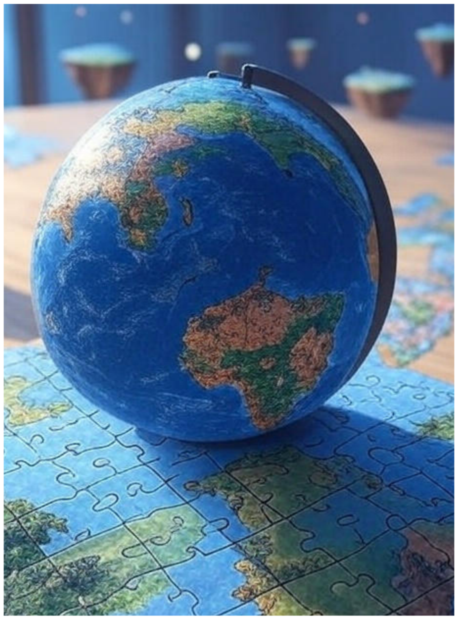

## प्रश्नोत्तर

**(1) आचार्य पंकज, वाराणसी, उ0प्र0**

**प्रश्न- प्रस्तुत लेख में विश्व की प्रमुख समस्याओं की विस्तृत चर्चा करते समय आपने आतंकवाद को शामिल नहीं किया, जबकि आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या हैं। आप इस संबंध में स्पष्ट कीजिए।**

**उत्तर-** आतंकवाद पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या के रुप में दिखता है किन्तु आतंकवाद ऊपर लिखी नौ समस्याओं का परिणाम है, कारण नहीं। यदि कोई बीमारी किसी कारण विशेष से होती है तो बीमारी को तत्काल रोकना उस बीमारी का समाधान न होकर, एक अल्पकालिक प्रयास होता है। यदि आतंकवाद को रोक भी लिया गया तो उपरोक्त नौ समस्याएं नहीं सुलझ जायेगी। किन्तु यदि नौ समस्याओं का समाधान हो जाये तो आतंकवाद पैदा ही नहीं होगा या अपने आप समाप्त हो जायेगा। दूसरी बात यह भी है कि इन नौ समस्याओं का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। जबकि आतंकवाद का प्रभाव उस देश तक सीमित व्यक्तियों तक पड़ता है जो उस आतंकवाद की चपेट में रहते हैं। इसलिए मैंने आतंकवाद को प्रमुख समस्या न मानकर आतंकवाद सरीखी अनेक समस्याओं की जड़ को खोजने का प्रयास किया है। आप विचार करिये कि यदि-

(1) विचार प्रचार के स्थान पर विचार मंथन प्रभावी हो जाये।

(2) लोक और तंत्र के बीच दूरी घट जाये तथा लोक नियुक्त तंत्र की जगह लोक नियंत्रित तंत्र हो जाये।

(3) राजनीति, धर्म और समाज सेवा का व्यापार बंद हो जाये।

(4) किसी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसका टेस्ट लेकर उसे भौतिक पहचान देने की व्यवस्था हो।

(5) वर्ग विद्वेष, वर्ग समन्वय में बदल जाये।

(6) तंत्र सुरक्षा और न्याय को अपना दायित्व समझे तथा जनकल्याणकारी कार्यों में हस्तक्षेप बंद कर दे।

(7) लोक अपने को सुरक्षित महसूस करें तथा उसे कभी बल प्रयोग की आवश्यकता ही न पड़े।

(8) व्यक्ति अपनी सीमायें समझे और स्वार्थ भाव से मुक्त हो।

(9) धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो जाये।

यदि इन नौ दिशाओं में बढ़ना शुरु कर दिया जाये तो आतंकवाद रहेगा ही नहीं और यदि कहीं पर रहेगा भी तो नियंत्रित हो जायेगा। मेरा तो यह भी मानना है कि यदि दुनिया की शासन व्यवस्था में एक विश्व सरकार बनने की भी पहल हो जाये तो आतंकवाद रुक सकता है।

**(2) श्री ओमप्रकाश दुबे**

**प्रश्न- तापवृद्धि और स्वार्थ वृद्धि को आपने मानव स्वभाव के साथ जोड़ा है इन दोनों का मानव स्वभाव से क्या संबंध है?**

**उत्तर-** कोई व्यक्ति जब बिना विचार किये किसी कार्य को करने लगता है तब वह उसकी आदत बन जाती है। ऐसी आदत जब लम्बे समय तक चलती रहती है तब वह उसका स्वभाव मान लिया जाता है। ऐसा स्वभाव जब बहुत लम्बे समय तक बना रहता है तो वह उसका संस्कार माना जाता है

ऐसा संस्कार जब उस इकाई के अधिकांश लोगों का हो जाता है तब वह उस इकाई की संस्कृति कही जाती है।
मानव स्वभाव में चार स्थितियों का संतुलन होता है- (1) विचार (2) सुरक्षा (3) सुविधा (4) सेवा। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य स्तर पर चारों गुण मौजूद होते है किन्तु विशेष स्थिति के आधार पर व्यक्ति में कोई एक ही गुण विशेष रहता है, शेष तीन गुण आंशिक रुप से रहते है। वर्तमान समय में सारी दुनिया में चिंतन और सेवा का गुण घट रहा है और सुरक्षा तथा सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा के नाम पर शक्ति संग्रह की आवश्यकता महसूस होती है और कालान्तर में यही शक्ति संग्रह आक्रमण का भी आधार बनता है। यह आक्रामक प्रवृत्ति ही तापवृद्धि मानी जाती है। मानव स्वभाव तापवृद्धि का मतलब है कि अधिकांश व्यक्तियों में क्रोध और, आक्रमण की प्रवृत्ति का बढ़ना। यह प्रवृत्ति सारी दुनिया में बढ़ रही है। स्वतन्त्रता के बाद भी भारत में सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि के अनुकरण की सलाह दी जाती है जबकि इस तरह की सलाह का स्वतन्त्रता के बाद कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह हर व्यक्ति में धन संग्रह की भी प्रवृत्ति बढ़ रही है। प्राचीन समय में ज्ञान और त्याग को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। पावर और धन की भी तुलना में भी। आज ज्ञान और त्याग की जगह शक्ति और धन सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे है। हर नेता और हर पूंजीपति धन, शक्ति और सम्मान अर्थात सब कुछ अपने पास इक्ट्ठा करने की कोशिश कर रहा है इसलिए मैंने तापवृद्धि और स्वार्थ वृद्धि का मानवस्वभाव में निरंतर बढ़ते जाना बहुत बड़ी समस्या के रुप में माना है।

**(3) राहुल शर्मा**

**प्रश्न- आदिमानव काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो आज क्यों आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था तो केवल शादियों के लिए बनी है। बालीवुड में वर्ण व्यवस्था नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो रही है और हो जायेगी।**

**उत्तर-** आदिमानव काल में क्या व्यवस्था थी यह मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं नहीं जानता कि आदिमानव काल में मनुष्य की कुल संख्या सैकडो में थी या लाखों में, या करोडो में, या अरबों में यह मैं नहीं बता सकता। वर्ण व्यवस्था में जब विकृति आयी और वह प्रवृत्ति और योग्यता से हटकर जन्म के आधार पर बनने लगी। तब उसके विपरीत परिणाम आये। अब जन्म के आधार पर बनी हुई वर्ण व्यवस्था टूट रही है। किन्तु कर्म के आधार पर एक नई वर्ण व्यवस्था का ढ़ाचा भी बनता जा रहा है अर्थात राजनेताओं का एक अलग वर्ण बन रहा है। तो व्यवसायियों का अलग। भले ही राजनेताओं में जन्म अनुसार वर्ण व्यवस्था मानने वाले ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब शामिल है। आज भी श्रमिक संगठन नई वर्ण व्यवस्था का ही सुधरा हुआ स्वरुप है। उचित होगा कि हम सुधरे हुये स्वरुप को अधिकृत मान ले और बिगड़े हुये स्वरुप को समाप्त होने में मदद करें। इसी लिए हम लोगों ने मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक नाम से नयी वर्ण व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है।

**(4) मनोज कुमार द्विवेदी**

**प्रश्न- समाजशास्त्रीय दृष्टि सम्पूर्ण समाज के लिए हो सकती है परन्तु राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से विचार या नियम या संवैधानिक कानून एक सीमा में ही हो सकता है क्या आप सहमत है।**

**उत्तर**- समाज एक सम्पूर्ण इकाई है जबकि राजनीति, अर्थव्यवस्था, श्रम व्यवस्था, उक्त समाज के अंग। संवैधानिक कानून एक सीमा में ही हो सकता है इससे मैं सहमत हूँ किन्तु यह भी विचार करना पड़ेगा कि ऐसी सीमा समाज बनायेगा या कोई और। संसद को समाज चुनता है यही सही है किन्तु संसद यदि अपनी सीमा स्वयं बनाने लगे तो समाज की शक्ति निरर्थक हो जाती है। उचित होगा कि संसद की सीमाएं भी संविधान संशोधन तथा संविधान निर्माण में संसद के अतिरिक्त कोई समाज की अन्य भूमिका भी हो। संसद संविधान का पालन करती है और प्रत्येक व्यक्ति से कराती भी है ऐसी संसद संविधान में संशोधन भी करने लगेगी तो फिर संसद और तानाशाह में क्या अंतर रह जायेगा इसीलिए हम लोग संसद की सीमाये तय करने के एक सम्प्रभुता सम्पन्न संविधान चाहते है। जिस संविधान से ऊपर समाज के अतिरिक्त कोई अन्य न हो।

# मुनि जी के विचार

## नयी समाज व्यवस्था

नयी राजनीतिक व्यवस्था में तंत्र के तीन भाग हैं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। लेकिन संविधान तंत्र मुक्त होगा। संविधान संशोधन के लिए भी दो अलग-अलग इकाइयां होंगी एक संविधान सभा होगी और दूसरा तंत्र होगा इस तरह दोनों की स्वीकृति से ही संविधान संशोधित होगा संविधान सभा के लिए चयन आम जनता करेगी तंत्र नहीं। उसका क्या तरीका होगा वह तरीका तंत्र बता सकता है। उसके लिए या तो जनता के द्वारा एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी अथवा उसके लिए एक संविधान सभा बनेगी अथवा उसके लिए ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जाएगा संविधान संशोधन के लिए चाहे कोई भी व्यवस्था बने लेकिन उसके लिए व्यवस्था जरूर बनेगी। तंत्र और संविधान सभा दोनों की सर्वसम्मति से ही संविधान संशोधित हो सकेगा यदि दोनों की सहमति नहीं बनती है तब आम मतदान कराया जाएगा लेकिन संविधान संशोधन किसी भी परिस्थिति में तंत्र अकेला नहीं कर सकेगा।

नयी समाज व्यवस्था में व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी जीव जंतु को या पशुओं को मौलिक अधिकार नहीं होगा। उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं वह अधिकार भी राष्ट्र सभा या ग्राम सभाओं की स्वीकृति के बाद भी दिए जाएंगे। जीव दया कानून पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। किसी भी जीव पर दया करना राज्य का दायित्व नहीं है वह तो ग्राम सभा नियम बना सकती है राष्ट्र सभा बन सकती है सरकार नहीं बना सकती। मंदिरों में पशु बलि हो या ना हो इस संबंध में राज्य किसी तरह का नियम नहीं बना सकता क्योंकि वह मंदिरों का अपना आंतरिक मामला है अथवा ग्राम सभा केंद्र सभा का संबंध है। इस तरह राज्य इस प्रकार के किसी भी कार्य से अपनी दूरी बनाकर रखेगा। कुत्ता बंदर या किसी अन्य जीव के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं वे समाज के लिए घातक है।

हम नई समाज व्यवस्था में पुलिस वालों की संख्या 5 गुनी कर देंगे। पुलिस विभाग पर बजट भी 5 गुना कर दिया जाएगा। गुप्तचर विभाग की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। वर्तमान भारत में जिस तरह ईडी, सीबीआई अपराध नियंत्रण में मजबूत हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ाई जाएगी। हर अपराधी कानून से डरता रहे इस बात की मजबूत व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा का बजट कम कर दिया जाएगा। पुलिस और न्यायालय की बहुत मजबूत व्यवस्था की जाएगी। कोई भी अपराधी बच न सके इस बात की मजबूत व्यवस्था करनी आवश्यक है। यदि जरूरत पड़ेगी तो गुप्त मुकदमा प्रणाली भी शुरू की जाएगी, जिसमें गुप्तचर न्यायालय गुप्त जांच करके तत्काल निर्णय देगा। अपराध नियंत्रण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम पश्चिम की न्याय व्यवस्था को तत्काल सुधार कर नई न्याय व्यवस्था लेंगे जिसमें कोई अपराधी बच न सके। इस तरह समाज में सुरक्षा और न्याय की गारंटी देंगे।

वैसे तो हम दुनिया की समाज व्यवस्था पर चर्चा करते हैं लेकिन शुरुआत हम भारत से ही कर सकते हैं। नई समाज व्यवस्था में हम यह नियम बनाएंगे की भारत के चारों तरफ जो सीमा क्षेत्र हैं दूसरे देशों के साथ जुड़ते हैं वहां अपने क्षेत्र के अंतर्गत 15 किलोमीटर के क्षेत्र को सैन्य प्रशासन के अंतर्गत छोड़ेंगे। इस 15 किलोमीटर के अंदर जो भी व्यक्ति रहना चाहेगा उसे सैन्य प्रशासन के अंतर्गत रहना होगा उसे किसी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं होगा। वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं वह उस क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं उनकी संपत्ति का मुआवजा दिया जाएगा लेकिन यदि वह उस क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो वहां सेना के नियम कानून लागू होंगे। इस तरह हम बाहर से आने वालों की घुसपैठ को भी आसानी से रोक सकेंगे और दूसरे देशों के साथ टकराव में भी हमें मदद मिलेगी क्योंकि बॉर्डर का 15 किलोमीटर का क्षेत्र या तो खाली रहेगा या सैन्य प्रशासन का होगा।

राजनेता हमेशा ही किसी भी मुद्दे पर विवाद पैदा करके पंच बन जाया करते हैं। इसी तरह भारत में भाषा के नाम पर भी अनावश्यक विवाद खड़ा किया जाता है। नई सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक इकाई को अपनी भाषा में अपनी बात रखने कीस्वतंत्रता होगी कोई भी अन्य इकाई किसी भी दूसरी इकाई को अपनी भाषा में बात रखने से रोक नहीं सकती। वह इकाई से या तो

अन्य भाषा का प्रयोग करने का निवेदन कर सकती है अन्यथा वह ट्रांसलेट करने की सुविधा बना सकती है लेकिन किसी दूसरी इकाई पर जोर नहीं डाला जा सकता। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र भाषा हो सकती है परिवार की अपनी भाषा हो सकती है गांव की जिले की प्रदेश की भी अपनी-अपनी भाषा हो सकती है और केंद्र सरकार की भी अपनी भाषा हो सकती है। केंद्र सरकार की जो भाषा होगी वह एक भाषा हो सकती है और अन्य सभी इकाइयां अपने ट्रांसलेशन की व्यवस्था कर सकती है। केंद्र से ट्रांसलेशन की मांग कोई प्रदेश नहीं कर सकता। इस तरह भारत सरकार अपनी भाषा हिंदी रख सकती है और तमिलनाडु अपनी भाषा अंग्रेजी रख सकता है कोई भी परिवार अपनी भाषा संस्कृत रख सकता है भाषा का विवाद पूरी तरह अनावश्यक है। यह आवश्यक है कि वक्ता को हमेशा श्रोता के समझने लायक भाषा का उपयोग करना चाहिए क्योंकि भाषा का निर्धारण श्रोता के समझने की योग्यता पर निर्भर करता है ना कि वक्ता की योग्यता पर। लेकिन यह करना हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है बल्कि ऐसा हमें करना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं की हिंदी भाषा किसी पर थोपना पूरी तरह गलत है और हिंदी का विरोध करना भी पूरी तरह गलत है। सबको अपनी-अपनी भाषा का उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देश के लोगों की भाषा कैसी हो यह तय करना सरकार का काम नहीं है सरकार सिर्फ अपनी भाषा तय कर सकती है।

हम जो नई समाज व्यवस्था का प्रस्ताव दे रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से शराब, गांजा, अफीम, हीरोइन किसी भी चीज का उपयोग करना सामाजिक आधार पर गलत माना जाएगा संवैधानिक आधार पर नहीं। कानून इसमें किसी प्रकार का दखल नहीं देगा। सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति शराब बनाने और बेचने के लिए तब तक स्वतंत्र होगा जब तक उसे ग्राम सभा नहीं रोक देती। ग्राम सभाओं को या परिवारों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह इन वस्तुओं का उपयोग रोक सकती हैं। यदि किसी समाज की राष्ट्र सभा सर्वसम्मति से सरकार को हस्तक्षेप का कोई अधिकार देती है या निवेदन करती है तब उस संबंध में सरकार ऐसे निवेदन पर विचार कर सकती है अन्यथा नहीं। हम लोगों ने 60 वर्ष पहले रामानुजगंज शहर की सीमा के अंतर्गत यह छूट दी थी की कोई भी व्यक्ति शराब बेच सकता है बना सकता है उसे हम नहीं रोकेंगे और इसके अच्छे परिणाम आए थे। मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि शराब, जुआ, गांजा, भांग, ब्लैक करना तस्करी करना यह सब कार्य कोई अपराध नहीं है इस प्रकार के सारे कानून समाप्त करने की जरूरत है। हम नई सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार के सभी कानून को खत्म कर देंगे।

नई समाज व्यवस्था में सरकार किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगी सब प्रकार के व्यापार या तो निजीकरण होगा या समाजीकरण होगा सरकारी करण नहीं होगा। किसी व्यापार में सरकार का एकाधिकार नहीं होगा चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ हो या और कोई भी मामला हो। यहां तक की जंगल भी सरकारी नहीं होंगे। यदि राष्ट्र सभा सरकार से किसी कार्य में हस्तक्षेप करने के अथवा उस कार्य को करने का निवेदन करती है तभी सरकार उस कार्य को कर सकती है अन्यथा नहीं। वर्तमान समय में जो जंगल हैं वह सब नीलाम कर दिए जाएंगे या राष्ट्र सभा को दे दिए जाएंगे। वर्तमान में सभी स्कूल या अस्पताल राष्ट्र सभा ही संचालित करेगी सरकार नहीं सड़के रेलवे पोस्ट ऑफिस कोई भी सरकारी नहीं होगा सब की व्यवस्था राष्ट्र सभा करेगी या निजीकरण हो जाएगा। इस तरह हम लोग एक सरकार मुक्त समाज व्यवस्था की योजना बना रहे हैं।

हमारी नई समाज व्यवस्था में सरकार की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति का एक पहचान नंबर होगा। उस पहचान नंबर में 10 अंक होंगे। पूरे देश को 99 प्रमंडल में बांटा जाएगा प्रत्येक प्रमंडल में सौ मंडल होंगे प्रत्येक मंडल में उतने गांव होंगे जिससे एक मंडल की आबादी लगभग डेढ़ लाख होगी। प्रत्येक व्यक्ति का एक अंक का कोड नंबर होगा उसके साथ दो अंको का मकान नंबर तीन अंको का गांव का नंबर दो अंको का मंडल का नंबर और दो अंको का प्रमंडल का नंबर होगा। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति की पहचान 10 अंकों में सिमट जाएगी। इस कोड नंबर से ही प्रत्येक व्यक्ति की पहचान होगी। यदि कोई व्यक्ति अपना मकान बदलता है तो वह अपना नंबर मकान का बदलवा सकता है कोई व्यक्ति अगर प्रमंडल बदलता है तब भी उसके प्रमंडल का नंबर बदल जाएगा। इस तरह भारत के प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान बन जाएगी और वह 10 अंकों तक सिमट जाएगी। इसी पहचान के आधार पर वह अपनी गाड़ी का नंबर लिख सकता है बैंक का अकाउंट खोल सकता है बिजली के नंबर हो सकते हैं उसके मुकदमे का यही नंबर हो सकता है पोस्ट ऑफिस में यही नंबर हो सकता है किसी भी व्यक्ति को अपनी चिट्ठी में नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी बल्कि यह एक नंबर ही पर्याप्त होगा। किसी व्यक्ति के न्यायालय का समन इस नंबर से चला जाएगा। इस तरह मेरे विचार से बहुत सुविधा भी हो जाएगी और छिपने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। यदि किसी ग्रामीण या गरीब को कार्ड अपने पास रखने में दिक्कत होगी वह अपने बाएं हाथ पर अमिट स्याही से उक्त नंबर लिखकर भी रख सकता है। सरकार के लिए जनगणना करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यह नंबर ही हमेशा आबादी का ज्ञान कराता रहेगा।

व्यक्ति और समाज यह दोनों प्राकृतिक इकाइयां होती हैं। व्यक्ति का कोई भाग नहीं हो सकता प्रकार हो सकता है समाज का कोई प्रकार नहीं हो सकता भाग हो सकता है। व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं एक वे जो समाज के बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करते हैं दूसरे वे जो समाज के बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते और तीसरे हुए वह समाज के बनाए गए नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं। पहले प्रकार के लोगों को हम सामाजिक व्यक्ति कहते हैं दूसरे प्रकार के लोग अ सामाजिक कहे जाते हैं तीसरे प्रकार के लोग समाज विरोधी कहे जाते हैं। सामाजिक लोगों की संख्या एक दो प्रतिशत ही होती है जो कभी असामाजिक या समाज विरोधी कार्य नहीं करते और सामाजिक लोगों की संख्या 95 से 98% तक हो सकती है यह समाज विरोधी कार्य कभी नहीं करते सामाजिक या असामाजिक कार्य कर सकते हैं समाज विरोधी तत्व एक-दो प्रतिशत ही होते हैं जो समाज विरोधी कार्य भी करते हैं और सामाजिक भी कर सकते हैं अ सामाजिक भी कर सकते हैं। समाज विरोधी लोग तीनों प्रकार के कार्य करते हैं। सामाजिक लोगों को समाज उच्च सम्मान देता है अ सामाजिक लोगों को समाज समझाता है अनुशासित भी करता है लेकिन दंडित नहीं समाज विरोधी तत्वों को राज्य दंडित करता है समाज नहीं। इस तरह यह स्पष्ट है कि राज्य का काम सिर्फ दंड देना है हृदय परिवर्तन नहीं सुधार का कार्य नहीं जैसा कि राज्य कर रहा है। समाज का काम सिर्फ हृदय परिवर्तन है अनुशासित करना है दंड देना नहीं जैसा ही कि मुसलमान में वर्तमान में हो रहा है। समाज और राज्य को अलग-अलग अपनी सीमाएं समझनी चाहिए नई समाज व्यवस्था में यह सीमा बिल्कुल स्पष्ट होगी। नई समाज व्यवस्था में यह बात बिल्कुल साफ होगी कि समाज के प्रकार नहीं हो सकते सिर्फ भाग हो सकते हैं।

नई समाज व्यवस्था में महिला और पुरुष का कानून में किसी प्रकार का भेद नहीं रखेंगे सबको बराबर के अधिकार होंगे। महिला सशक्त होनी चाहिए या पुरुष इसका निर्णय परिवार करेगा इसका निर्णय सरकार नहीं कर सकती। कानून और संविधान नहीं कर सकता। महिला और पुरुष के बीच दूरी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए इसका निर्णय भी परिवार करेगा सरकार और कानून नहीं कर सकते। महिलाओं पर अत्याचार कानूनी अपराध है इस प्रकार की बात बोलने वालों को कानून में दंडित किया जाएगा क्योंकि कानून के अनुसार किसी पर भी अत्याचार करने की छूट नहीं है अत्याचार अपराध होगा चाहे वह महिला पर हो या पुरुष पर हो। कानून में महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। कानून के अनुसार परिवार की संपत्ति में महिलाओं का भी उतना ही हिस्सा होगा जितना पुरुष का। कानून के अनुसार परिवार में महिला या पुरुष सब की संपत्ति और स्वतंत्रता संयुक्त होगी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत नहीं होगी। सारी संपत्ति पूरे परिवार की मानी जाएगी परिवार का कोई सदस्य अपराध करेगा तो उसकी जिम्मेदारी पूरे परिवार की मानी जाएगी। इस तरह हम महिला और पुरुष के भेद कानून में समाप्त कर देंगे। हम महिला सशक्तिकरण नहीं परिवार सशक्तिकरण का नारा प्रचलित करेंगे और उसे लागू करेंगे। महिला सशक्तिकरण का नारा लगाने वालों को समाज से बहिष्कृत किया जाय।

# अपनों से अपनी बात

मैं पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ गया था। वहाँ शाम 4:00 बजे मेवाड़ यूनिवर्सिटी में भारत का संविधान कितना सफल कितना असफल इस विषय पर व्याख्यान हुआ। मैं वहां अपने सभी मित्रों को यह बात साफ की कि हम लोग कोई फेसबुक चलाने वाले लोग नहीं है, हम फेसबुक का उपयोग करते हैं। हम वर्तमान समस्याओं पर ही चर्चा नहीं करते, हम उन समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। हम सिर्फ आम लोगों को समाधान ही नहीं बताते बल्कि हमारे साथी समाधान के प्रयत्न की शुरुआत भी करते हैं। हम समस्याओं के समाधान का नेतृत्व भी करने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपने सभी मित्रों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ समस्याओं की ही चर्चा न करें, हम समस्याओं के समाधान सोचें और समाधान किस तरह व्यावहारिक धरातल पर उतर सकता है इसका प्रयोग भी करें। आइए हम आप सब मिलकर अपनी क्षमता के अनुसार इस दिशा में सक्रिय हों।

## सामाजिक विषयों में राजनैतिक हस्तक्षेप-

आजकल एक आई आई टी बाबा भी चर्चा में है। उनका व्यक्तिगत जीवन क्या है उनकी योग्यता क्या है इस विषय में ना तो मुझे कोई जानकारी है ना मेरा कोई संबंध है वह कोई अच्छे व्यक्ति भी हो सकते हैं बुरे व्यक्ति भी हो सकते हैं लेकिन आईआईटी बाबा को पुलिस ने एक ऐसे आरोप में गिरफ्तार किया जो मैं महत्वहीन समझता हूं भले ही वह कानून सम्मत हो। आईआईटी बाबा को डेड ग्राम गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था डेढ ग्राम ग्राम गांजा सिर्फ। डेढ़ किलो नहीं डेढ़ सौ ग्राम नहीं सिर्फ डेढ़ ग्राम गांजा। मैं अभी तक नहीं समझा कि यह डेढ ग्राम गांजा कितना बड़ा गंभीर अपराध हो गया जिसके लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया। अरे भाई डेढ ग्राम गांजा रखना कोई बारूद नहीं था कोई पिस्टल बंदूक नहीं थी कोई बम नहीं था सिर्फ डेढ़ ग्राम गांजा था। हमारी सरकारों को यह क्या हो गया है कि वह आंख बंद करके पश्चिम की नकल कर रहे हैं पश्चिम में तो बंदूक पिस्तौल रखना साधारण अपराध माना जाता है और अफीम गांजा रखना बहुत गंभीर अपराध लेकिन हम लोग बिना सोचे समझे उनकी आंखे बंद करके नकल करें यह उचित नहीं है। मेरे विचार से आईआईटी बाबा को इस मामूली से गांजा के मामले में गिरफ्तार करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। मैं पहले ही लिख चुका हूं कि वह गैर कानूनी कार्य हो सकता है लेकिन अपराध नहीं था न्यायालय ने भी उनको जमानत दे दी है। मेरा यह सुझाव है कि हम इस प्रकार के मामलों को इतना बड़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत न करें।

भारत में किसानों के नाम पर देश को ब्लैकमेल करने के लिए पंजाब के कुछ किसानों ने एक गिरोह बना लिया है। इन्हें पंजाब सरकार का भी समर्थन प्राप्त था और यह पूरे भारत को किसान के नाम पर बंधक बनाना चाहते थे। इनका पेट इतना बड़ा हो गया था कि सारा भारत समा जाता तब भी इन लोगों का पेट भरने वाला नहीं था। इन्होंने विदेशों से भी हाथ मिला लिया था और इन लोगों ने एक मुखौटा बनाकर डंडेवाल को अनशन पर बिठा दिया था और यह लोग ड्रामा कर रहे थे कि बस डलेवाल एक दिन में मरेगा 2 दिन में मरेगा पंजाब सरकार भी उनके नाटक में पूरी तरह शामिल हो गई थी यहां तक की सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित हो गया था लेकिन हम लोगों ने सामने आकर सरकार को यह आश्वासन दिया कि यह डले वाल कभी नहीं मरने वाला है क्योंकि यह कम्युनिस्ट है पेशेवर है इसी तरह ड्रामा करते रहेगा। कल यह बाद साफ हो गई जब इन लोगों ने पंजाब सरकार को ही धमकी दे दी और पंजाब सरकार ने भी बल प्रयोग करते हुए इन पेशेवर किसानो की हवा निकाल दी। यह चंडीगढ़ में उपद्रव करना चाहते थे लेकिन जिस पंजाब सरकार की मदद से यह इतना ड्रामा कर रहे थे पंजाब सरकार ने उस नाटक की बिजली ही काट दी और लाचार होकर इन लोगों को अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के समर्थन से ही इस प्रकार की समाज विरोधी तत्व फालतू बोलते हैं। मुझे यह बात जरूर बुरी लगी कि पंजाब सरकार ने जब इन इस प्रकार के अपराधियों पर शिकंजा कसा तब अन्य राजनीतिक दल इन तथाकथित अपराधियों के पक्ष में खड़े हो गए जिसमें भाजपा भी शामिल थे यह उचित नहीं था। पंजाब सरकार ने जिस तरह इन लोगों पर कठोर कार्यवाही की उसके लिए पंजाब सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

यह सामाजिक नियम है कि जब कोई दो बड़ी शक्तियां आपस में अंतिम रूप से संघर्षरत हो जाती हैं तो अनेक छोटी शक्तियां बीच में दोनों को ब्लैकमेल करके लाभ उठाती हैं। यही पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच हुआ यही सांप्रदायिकता में हिंदू और मुसलमान के बीच हुआ यही राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच हुआ और यही स्थिति हर मामले में देखने को मिलती है। अमेरिका और साम्यवाद के बीच टकराव में भारत पाकिस्तान तथा कुछ अन्य छोटे-छोटे देशों ने बिचौलिया बनकर लाभ उठाया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी अनेक छोटे-छोटे दलों ने बहुत लाभ उठाया है हिंदू और मुसलमान के बीच में भी सिख दलित या अन्य कई छोटे संगठनों ने बहुत ब्लैकमेल किया है। अभी तक इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग चलती रही है लेकिन पिछले दो-तीन महीना में एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। ट्रंप ने आने के बाद जिस तरह रूस से हाथ मिलाने की कोशिश की है उससे बिचौलिए बहुत परेशान हो गए हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारा क्या होगा क्योंकि ट्रंप और पुतिन के एक हो जाने से बिचौलियों की परेशानी स्वाभाविक है। इसी तरह पिछले दो-तीन महीना पहले जब मोहन भागवत ने मुसलमान के विषय में कुछ बयान दिया तो सावरकर वादियो की हवा निकल गई। सावरकर वादी लगातार मुसलमान को अनावश्यक गालियां दे देकर संघ को ब्लैकमेल करते रहते थे सावरकर वादी यह दिखाने का प्रयास करते थे कि वही हिंदू हैं। समय-समय पर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करने की हिम्मत कर देते थे लेकिन जब से मोहन भागवत में मुसलमान के संबंध में बयान दिया है तब से सावरकर वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जाएं। ठीक यही स्थिति राहुल गांधी ने बना दी है अनेक छोटे-छोटे दल बीजेपी को और संघ को गाली दे देकर राहुल गांधी को ब्लैकमेल करते थे। यह छोटे-छोटे दल कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके स्वयं मजबूत भी होते रहते थे और समय-समय पर कांग्रेस पार्टी को आंख भी दिखाते रहते थे। जब से राहुल गांधी ने अलग मार्ग अपनाया है तब से मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल लालू यादव अखिलेश यादव उद्धव ठाकरे आदि बहुत परेशान हो गए हैं। इन सब बिचौलियों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अभी तक तो यह लोग दिन-रात सन्घ को गाली देकर कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करते रहते थे। इस तरह मैं देख रहा हूं की ट्रंप मोहन भागवत राहुल गांधी ने कुछ नई दिशा लेकर बिचौलियों को झटका दिया है। भविष्य में क्या होगा यह और देखने की जरूरत है। घर जलेगा या बचेगा यह तो अभी पता नहीं है लेकिन चूहे जरूर मर जाएंगे यह निश्चित है।

# राजनैतिक चर्चा-

तेजस्वी यादव उदंड वक्ता माने जाते हैं। वह सही बात को भी उचित ढंग से नहीं कह पाए। पिछले एक दो वर्षों में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वे शब्दउचित नहीं थे। तेजस्वी यादव ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि अब नीतीश कुमार ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे इस प्रकार के शब्द अपने विरोधी या प्रतिस्पर्धी के लिए कहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। मृत्यु की कामना करना अलग बात है और मृत्यु की घोषणा करना अलग बात है। पिछले एक-दो सप्ताह पहले ही तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार लालू यादव से भी पहले चले जाएंगे। तेजस्वी को यह कहना चाहिए था कि मेरे पिताजी नीतीश कुमार के बाद भी जिंदा रहेंगे लेकिन तेजस्वी ने गलत भाषा का प्रयोग किया ऐसी ही भाषा तेजस्वी ने तीन-चार दिनों पहले भी व्यक्त की। यदि तेजस्वी कोई डॉक्टर होते या नीतीश कुमार के शुभचिं तक होते इस प्रकार की बात करना अलग बात थी लेकिन फिर किसी प्रतिद्वंद्वी के लिए उसके मृत्यु की घोषणा करना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है। मेरे विचार से तेजस्वी मुख्यमंत्री बने या ना बने वह अलग बात है लेकिन बात करने का तरीका उद्दंड नहीं होना चाहिए।

आजकल मैं फेसबुक व्हाट्सएप में कुछ इस तरह की एक नई स्थिति देख रहा हूं जो अब चार-चार लाइन की तुकबंदी लिखकर अपने को संतुष्ट कर रहे हैं। पहले ऐसे लोग कुछ विचार लिखते थे इसके बाद कुछ झूठी कहानी लिखने लग गए और अब केवल तुकबंदी कर रहे हैं। ऐसे लोगों में आमतौर पर कम्युनिस्ट ज्यादा है जो लगभग बेरोजगार होते जा रहे हैं। उनकी मजबूरी हो जा रही है कि वह चार लाइन की तुकबंदी करें। ऐसे कई लोगों के नाम में जानता हूं जो अपने को गंभीर विचारक भी लिखते हैं वे दार्शनिक भी लिखते हैं वह बड़े लेखक कवि और मीडिया कर्मी भी लिखते हैं जबकि अब वर्तमान समय में पूरी तरह बेरोजगार दिखते हैं। ऐसे कई लोगों के मैं नाम तो नहीं लिखना चाहता लेकिन मैं रोज देखता हूं कि आजकल रवीश कुमार, ध्रुव राठी, मनोज भूषण, उपेंद्र शाही, राजकुमार वर्मा, शिव शंकर जायसवाल तथा कुछ अन्य ऐसे लोग हैं जो लगभग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा हो कि यह लोग अब तुकबंदी छोड़कर या तो कोई दूसरा धंधा कर ले अन्यथा अपनी योग्यता के अनुसार कुछ लिखे भले ही कम लिखो। लेकिन अब वह दिन गए जब दिन रात नरेंद्र मोदी को अल्प शिक्षित सब कुछ बेचने वाला 15 लाख आने वाला है विदेश के सामने 56 इंच का सीना नहीं है चीन भारत में घुस गया है इस प्रकार की तुकबंदी अब सुनते-सुनते समाज अब परेशान हो गया है। कुछ नई बात हो तो लिखो। यह 15 लाख और अल्प शिक्षा वाली कहानी अब निरर्थक हो गई है।

**सपा सरकार बनने पर जेल जाएंगे बुलडोजर... रामगोपाल यादव ने कहा, अधिकारियों की सूची बन रही**

समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चला रही है और झूठे मुकदमे लिखकर लोगों को जेल में भेज रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीना है और जाति जनगणना कराना नहीं चाहती।

BY JAGRAN NEWS
EDITED BY: SHIVAM YADAV
UPDATED: MON, 07 OCT 2024 05:12 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लड़ाई सीधे-सीधे सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अप्रत्यक्ष रूप से यह लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच है जिसमें सपा मुसलमान का और भाजपा हिंदुओं का समर्थन कर रही है। कल उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर ने मुसलमान को कुछ ऐसी सलाह दी जो सपा नेताओं को अच्छी नहीं लगी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव ने उस पुलिस अफसर को इस बात की धमकी दी है कि जब हमारी सरकार आएगी तो आप जैसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकियां तो कई बार संजय राउत भी बोलते रहते हैं अन्य कई नेता भी बोलते हैं लेकिन मैं अभी तक नहीं समझा कि इस प्रकार की धमकी का लोकतांत्रिक औचित्य क्या है। क्या किसी अफसर के किसी गलत कथन के लिए आपकी सरकार बिना कारण बताएं जेल में बंद कर सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस 24 घंटे के लिए जेल में बंद कर सकती है 24 घंटे से अधिक नहीं। फिर यह विचारणीय प्रश्न यह है कि रामगोपाल यादव जो बात कर रहे हैं वह कैसे संभव है। किसी लोकतांत्रिक भारत में कोई सरकार किसी को बिना कारण जेल में कैसे बंद कर सकती है जब तक की न्यायालय कार्यवाही ना हो। मुझे आश्चर्य होता है कि लोकतंत्र की दिन-रात बात करने वाले रामगोपाल यादव इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं जो उचित नहीं है। उस पुलिस अफसर ने यदि गलत कहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं कार्यवाही कर सकते हैं धमकी नहीं दे सकते। मैं अपने देश के प्रमुख नेताओं से निवेदन करता हूं कि वह लोकतंत्र को समझें। इस प्रकार की तानाशाही की बातें न करें। इस प्रकार की बातें करने से मुसलमान गलती करके भी बच जाएंगे ऐसी कोई आसार उत्तर प्रदेश में नहीं दिखते।

दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में है, गुमसुम रहते हैं, बात बहुत काम करते हैं। समझ में नहीं आ रहा की इस तरह उनका प्रधानमंत्री पद एकाएक कैसे हाथ से निकल गया। विपश्यना के नाम पर 10 दिनों के एकांतवास के पहले उन्होंने अपने अति विश्वस्त साथियों की एक बैठक की और बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई कि आगे क्या करना चाहिए। अन्य लोगों के विचार सुनने के बाद आतिशी ने बहुत हिम्मत करके अरविंद जी को यह सलाह दी की शीश महल के कारण चुनाव में बहुत नुकसान हुआ है और सारी राजनीति अरविंद जी पर टिकी हुई है इसलिए अरविंद जी को अब कुछ समय के लिए अपने उसी पुराने घर में रहना चाहिए सादा जीवन बिताना चाहिए गाड़ी भी पुरानी उपयोग करनी चाहिए सुरक्षा भी त्याग देनी चाहिए जनता के बीच में जब तक अरविंद केजरीवाल की त्याग मूर्ति की छवि नहीं बनेगी तब तक पार्टी ऊपर नहीं आ सकेगी। अरविंद जी ने इतना सुनते ही आतिशी से पूछा कि इस प्रकार का त्याग मैं अकेला ही क्यों करूं क्यों नहीं आप लोग ऐसे त्याग की शुरुआत करते हैं। मैं त्याग करूं और आप लोग भोग करें इस तरह का सुझाव कैसे उचित है।किसी को ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी और सब लोग निरुत्तर हो गए। फिर अरविंद जी 23 गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब रवाना हुए और अरविंद जी की सुरक्षा के लिए वहां के पुलिस ने 200 सुरक्षा गार्ड भी लगाए हैं और बहुत निगरानी की जा रही है। सच बात यह है की डिप्रेशन में यदि कोई व्यक्ति एकांतवास करता है तो उसकी विशेष निगरानी तो होनी ही चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार भारत की पहली घटना है जब कोई व्यक्ति सपने में इतनी जल्दी प्रधानमंत्री बन जाता है और नींद खुलते ही अपने को शून्यवत पाता है।

## संघ और सावरकरवाद-

जगदीश शरण जी एक देश के प्रमुख सावरकरवादी है। जगदीश शरण जी ने यह बीड़ा उठा लिया है कि वह सबसे ज्यादा गांधी का विरोध करेंगे और गांधी का समर्थक चाहे कोई भी हो वह मैं हूं नरेंद्र मोदी हों भागवत जी हो या कोई भी हो वह उसका पूरी तरह विरोध करेंगे। वैसे तो अब अधिकांश सावरकर वादी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के पक्ष में हो गए हैं या कम से कम गांधी के मामले में चुप रहते हैं लेकिन जगदीश शरण जी अभी भी अपनी बात पर दृढ़ है वह नेहरू के मामले में चुप रह सकते हैं लेकिन गांधी को तो दिन-रात गाली देंगे ही। मैं जगदीश शरण जी से सहमत नहीं हूं। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जो गांधी की अहिंसक लाइन पर चल रहे हैं वह भी जगदीश शरण जी को पसंद नहीं है।गांधी चाहे सही हो या गलत इससे जगदीश शरण जी को मतलब नहीं है क्योंकि सावरकर वाडियो का तो दिन-रात एक ही धंधा है कि गांधी को गाली देना बाकी कोई काम नहीं है। मैं सावरकर वाडियो से निवेदन करता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों में इस प्रकार दो गुट बनाकर आप देश का नुकसान कर रहे हैं। चाहे सावरकर हो या गांधी सब की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए अच्छाई बुराई पर चर्चा होना चाहिए लेकिन यदि आप सावरकर को ऊपर उठाने के लिए गांधी को गाली देना जरूरी समझते हैं तो आप वास्तव में देशभक्त नहीं है। मेरे विचार से वर्तमान भारत का नेतृत्व गांधी और सावरकर के बीच टकराव को छोड़कर समन्वय पर चल रहा है और यह बहुत अच्छी बात है।

## महिला पुरुष संबंध-

हरियाणा में हिमानी नामक एक कांग्रेस कार्यकर्ता की उसी के बॉयफ्रेंड सचिन ने हत्या कर दी। हत्या का कारण यह बताया गया कि वह सचिन को ब्लैकमेल करके पैसे मांगती थी। अंत में परेशान होकर सचिन ने उसकी हत्या कर दी। मैं यह बात अच्छी तरह समझता हूं की पुरुषों को ब्लैकमेल करने में महिलाओं की हत्या का प्रतिशत बहुत अधिक है और उसका मुख्य कारण यह है की कुछ महिलाएं अपनी गुप्तेंद्रियों की मदद से बहुत तेजी से प्रगति करना चाहती हैं और उस तेज प्रगति में कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या ब्लैकमेल करना महिलाओं का स्वभाव है मेरे विचार से महिलाओं का ऐसा स्वभाव नहीं है बल्कि महिलाओं को जो कानून के द्वारा विशेष अधिकार दिए गए हैं उन विशेष अधिकारों का उपयोग करके ही दो-तीन प्रतिशत महिलाएं ब्लैकमेलिंग को हथियार के रूप में उपयोग करती हैं अन्यथा महिलाओं का ऐसा स्वभाव नहीं है। यही हथियार पुरुषों को हत्या के लिए मजबूर कर देता है। आमतौर पर पुरुष समझते हैं की यदि महिला आरोप लगा देगी तब उसे वही दंड भुगतना पड़ेगा जो हत्या करने के बाद भुगतना पड़ता है। इससे अच्छा है की हत्या कर दें दंड तो बराबर ही होना है शायद हत्या के बाद बच निकले। इस तरह की सोच आमतौर पर पुरुषों में बढ़ती जा रही है और यह सोच बहुत खतरनाक है। एक प्रश्न और खड़ा होता है की हत्या के सारे सबूत पुलिस को प्राप्त हो गए हैं हत्या करना सचिन ने स्वीकार भी कर लिया है मैं नहीं समझता कि अब इसके बाद इस मुकदमे का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश को और क्या सबूत चाहिए सारे सबूत उपलब्ध हैं और न्यायालय को तुरंत निर्णय दे देना चाहिए लेकिन हम भारत के लोग इस तरह पश्चिम की न्याय प्रणाली के गुलाम हो गए हैं कि हम सारे सबूत होने के बाद भी निर्णय को वर्षों तक लटकाए रखना चाहते हैं। मैं इस न्यायिक प्रक्रिया और महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के विरुद्ध हूं। हिमानी की हत्या का दोष वास्तव में भारत के कानून और हमारी कमजोरी न्यायिक प्रक्रिया पर जाना चाहिए जिन्होंने महिलाओं को विशेष अधिकार देकर उन्हें खतरे में डाल दिया।

## मुस्लिम सांप्रदायिकता-

अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा के सपा से निर्वाचित विधायक हैं। उन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा करके एक अनावश्यक विवाद पैदा कर दिया है। औरंगजेब की प्रशंसा करना मेरे विचार से कोई अपराध तो नहीं है लेकिन उच्च स्तरीय मूर्खता है। वर्तमान भारत अकबर की तो कभी-कभी प्रशंसा भी कर सकता है लेकिन औरंगजेब को किसी भी तरह से दयालू या धर्मनिरपेक्षबोलना एक मूर्खता के अलावा कोई लक्षण नहीं है। अबू आजमी को यह सोचना चाहिए अब वह भारत नहीं है जब मुसलमान कुछ भी बोल देते थे और हिंदू चुपचाप सुन लेते थे क्योंकि उस समय सांप्रदायिक नेहरू की सरकार थी और वर्तमान वातावरण में अब एक धर्मनिरपेक्ष सरकार काम कर रही है। इस समय भारत के हिंदुओं का उतना ही मनोबल बढ़ा हुआ है जितना पिछले 50 वर्षों तक मुसलमानों का बड़ा हुआ था। कभी कश्मीर में मोहम्मद साहब का बाल चोरी हो गया सारे देश में दंगा हो गया कभी रोहिंग्या का मामला आ गया तो मुसलमान देशभर में उत्तेजित हो गए बात-बात पर मुसलमान मार काट करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब नई परिस्थितियां उनको समझनी चाहिए। अब हिंदुओं की भावनाएं भी उसी तरह बात-बात में भड़कने लगी है और ऐसे वातावरण में अबू आजमी ने अनावश्यक जलते हुए में अपना हाथ डाल दिया है। मैं इस समय सांप्रदायिक मुसलमान को सलाह देता हूं कि वह परिस्थितियों के अनुसार बोलने की आदत डालें। आज भारत में नेहरू परिवार की सरकार नहीं है। अबू आजमी ने यह बात का करके पूरे विपक्ष को संकट में डाल दिया है। विपक्ष ना उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। और इसलिए मेरी फिर से यह सलाह है कि बोलने के पहले थोड़ा परिस्थितियों पर विचार करें।

पिछले 10 वर्षों में भारत में सांप्रदायिकता घटी है। पिछले 50-60 वर्षों तक भारत में मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे। उन्हें विभाजन से कोई मतलब नहीं था वे तो चाहते थे कि जिस तरह कश्मीर असम बंगाल तथा कुछ अन्य प्रदेशों में वे ताकतवर होते जा रहे हैं उस तरह अगले 20 25 वर्षों मेंभारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू एकजुट हो गया सरकार बदल गई। अब सरकार बदल जाने के बाद भारत के सांप्रदायिक मुसलमान और उनके समर्थक विपक्षी राजनीतिक दलों को यह भरोसा हो गया कि अब भारत दारुल इस्लाम नहीं बन सकेगा। इसलिए अब ओवैसी राहुल गांधी अखिलेश यादव या अन्य सभी बड़े नेता एक स्वर से कह रहे हैं कि भारत में लगातार विभाजन की परिस्थितियों बन रही हैं। वे विभाजन के नाम पर हमें डराना चाहते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि अब भारत दारुल इस्लाम तो बनेगा ही नहीं अब भारत का कोई बटवारा भी नहीं होगा। अब यहां सांप्रदायिक तत्वों का मनोबल टूट गया है संभल में जिस तरह मुसलमानो ने अंतिम प्रयास किया था सारी ताकत से अखिलेश यादव और मुसलमान ने मिलकर आक्रमण किया था उस संभाल में जिस तरह इनका मनोबल टूटा है उससे यह बात साफ हो गई है कि अब ना देश का विभाजन होगा ना दारुल इस्लाम बनेगा। लेकिन विभाजन से डरा कर अगर मुसलमान और उनके समर्थक हम लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो हम विभाजन के डर से अब दारुल इस्लाम का खतरा नहीं उठा सकते। यदि हमें गृह युद्ध से डराया जाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं मैं अपने सभी हिंदू विरोधियों को यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं की अब भारत शांति के नाम पर दारुल इस्लाम का खतरा नहीं उठाएगा। यह बात ओवैसी अखिलेश राहुल को भी ध्यान से सुन लेनी चाहिए। अब भारत हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा। अब भारत समान नागरिक संहिता से चलेगा। अब भारत सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष के बीच विभाजित होगा।

दुनिया के मुसलमान के संबंध में दो महत्वपूर्ण समाचार चर्चा में रहे। पहला समाचार यह है कि गाजियाबाद में इस्लाम नामक एक मुसलमान रोटियों में थूक लगाते हुए गिरफ्तार किया गया यह कोई नई बात नहीं है लेकिन इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। दूसरी घटना में ब्रिटेन सरकार ने ग्रूमिंग गैंग्स के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की है। ग्रूमिंग गैंग्स ऐसे लोगों को कहा जाता है जो 14 से 17 साल की लड़कियों के साथ किसी तरह यौन संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं। ब्रिटेन में लंबी खोजबीन के बाद यह पाया गया कि ऐसे लोगों की 80% संख्या पाकिस्तानियों की है जो लगभग मुसलमान है। यह एक गंभीर प्रश्न है की दुनिया में मुसलमान थूक लगाकर खाना देने के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है और दूसरी बात कि मुसलमान इतना कामुक क्यों होता है। यह दोनों ही बातें हैं भारत में प्रमाणित हो चुकी है लेकिन कारण अभी तक साफ नहीं है। बचपन में मेरी मां और दादी बताया करती थी कि मुसलमान पानी भी थूक कर देते हैं मुझे विश्वास नहीं था मेरे कुछ मुसलमान मित्र थे उन्होंने भी यह बात स्वीकार की लेकिन उन्होंने बताया की ऐसी गलती सिया लोग करते हैं सुन्नी नहीं। वर्तमान समय में तो शिया सुन्नी सभी इस मामले में लगातार पकड़े जा रहे हैं आखिर कारण क्या है क्या मुसलमान को माता-पिता से ही कुछ ऐसे संस्कार मिलते हैं की थूक में भाईचारा हैअथवा थूक का वैसा ही प्रभाव दूसरों पर पड़ता है जैसे हिंदुओं में मंत्रों का पड़ता है या कोई भी और बात हो सकती है लेकिन अब मुसलमान इस बात से इनकार नहीं कर पा रहा कि यह बात गलत है। मुसलमान के बच्चे कामुकहोते हैं यह बात तो मुझे पहले से मालूम थी और 65 वर्ष पहले हम लोगों ने रामानुजगंज शहर में इसका समाधान भी कर लिया था। मैं हमेशा अपने लेखों में यह लिखा कि मैं अपने घर के आसपास किसी मुसलमान को नहीं बसने देता यहां तक कि मैं अपने मुसलमान मित्रों को अपने पारिवारिक घर में प्रवेश भी नहीं करने देता था जबकि मुसलमान मित्रों के घरों में मेरा खुला आना जाना था। तो यह बात बिल्कुल साफ है कि मुसलमान बहुत कामुक होता है लेकिन यह कामुकता कहां से मिली या तो गर्भ से मिली या जन्म के बाद कुछ माता-पिता से मिली लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कामुकता का उपयोग धर्म गुरुओं ने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किया और धर्म गुरुओं ने मुस्लिम बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। कारण चाहे जो भी हो लेकिन इन दोनों गंदी आदतों पर भारत के मुसलमान को गंभीरता से विचार करना चाहिए अन्यथा सारी दुनिया सभी मुसलमानों पर संदेह करने लगी है।

मैंने पिछले तीन दिनों तक लगातार यह बात लिखी कि भारत के मुसलमान को अपने मार्ग पर नई परिस्थिति के अनुसार फिर से विचार करना चाहिए। मैं स्पष्ट हूं कि अब भारत में ना तो मुसलमान विभाजन कर सकते हैं ना ही मुसलमान संख्या बढ़ा सकते हैं ना ही भारत को दारुल इस्लाम बना सकते हैं अब तो भारत के मुसलमान को यह स्वीकार करना ही होगा कि वह भारतीय हैं और भारतीय समाज व्यवस्था को मानते हैं। दुनिया का मुसलमान धर्म को समाज से ऊपर मानता है लेकिन भारतीय मुसलमान को धर्म के ऊपर समाज को मानना ही चाहिए अन्यथा उसके पास और कोई चारा नहीं है। अब भारत का मुसलमान कहीं विदेश में जाने लायक भी नहीं है क्योंकि पश्चिम के देश भगा ही रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भारत का मुसलमान अब नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वे तो खुद ही भूखे मर रहे हैं इसलिए भारत के मुसलमान को यह मजबूरी है कि उन्हें भारत में ही रहना है और भारतीय संस्कृति के आधार पर उन्हें रहने की पहल करनी चाहिए हमारी संस्कृति है समाज सर्वोच्च धर्म सर्वोच्च नहीं मुसलमान को यह बात मान लेनी चाहिए। इस संबंध में भारत का मुसलमान क्या कर सकता है यह एक प्रश्न खड़ा होता है मैं ऐसा मानता हूं अब तक भारत का मुसलमान कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी तथा कुछ अन्य दलों से जुडकर विशेष अधिकार लेता रहा और उसका लाभ उठाता रहा। अब भारत के मुसलमान नई परिस्थिति में यदि हिंदुओं को भी बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार हो जाएं अर्थात समान नागरिक संहिता स्वीकार कर लें भारत में कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होगा सब लोग बराबर होंगे मेरे विचार से मंदिर मस्जिद का भी झगड़ा या अन्य सभी झगड़ा भी खत्म किया जा सकता हैं क्योंकि भारत के हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा है मुसलमान के विस्तारवादी नीति से मुसलमान की अल्पसंख्यक नीति से है। मैं भारत के मुसलमान को यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि भारत में मुसलमान संख्या विस्तार का मोह छोड़ दे विशेष अधिकार का मोह छोड़ दे खुद आगे आकर समान नागरिक संहिता का समर्थन कर दे तो हम मुसलमान के साथ समानता का व्यवहार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं अन्यथा यदि मुसलमान ने ज्यादा देर की तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।

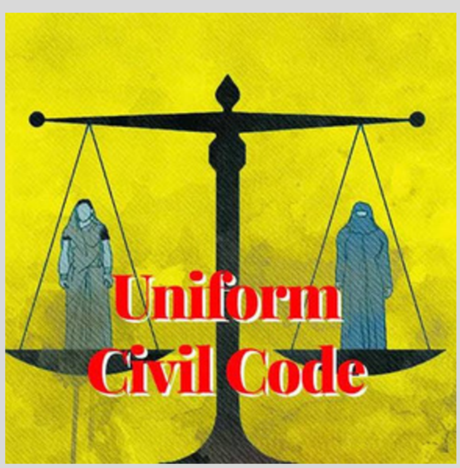

मेरे एक मुसलमान मित्र ने कई दिनों से सांप्रदायिक लेख लिखना शुरू किया था। होली के दिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा की मस्जिदों को ढकने की क्या जरूरत थी? हम हिंदू और मुसलमान तो एक साथ होली और अन्य त्यौहार मनाते आए हैं। आपस में टकराव तो बीजेपी और संघ के लोग करते हैं अन्यथा हिंदू मुसलमान में कोई टकराव नहीं है। हम उनके साथ होली खेलने को तैयार हैं और हिंदू भाई हमारे त्योहार पर सेवइयां खाने के लिए आ सकते हैं आपस में भाईचारा हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा की आपके यहां आने पर आप थूक कर पानी नहीं पिलाएंगे इसकी गारंटी कौन देगा? इस सवाल पर वह मियां जी भाई बहुत नाराज हो गए। मेरी जानकारी के अनुसार मुसलमान तो हिंदुओं के पड़ोस में बसने के लिए पूरी तरह तैयार हैं लेकिन यह प्रश्न पैदा होता है कि उनके परिवार के लड़के अगर दिन-रात पेंट खोलकर तैयार रहे उनसे हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? अब वह जमाना गया जब हम एक तरफ भाईचारा के लिए प्रयत्न करते थे अब यह संभव नहीं है। अब तो हमारे मुसलमान भाइयों को यह गारंटी देनी होगी कि हम किसी भी रूप में संख्या बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम किसी भी रूप में हिंदुओं को धोखा नहीं देंगे। जब तक यह विश्वास नहीं दे देंगे तब तक हिंदू एकतरफा भाईचारा के लिए तैयार नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि भारत का मुसलमान यदि समान नागरिक संहिता स्वीकार कर ले तो सिर्फ एक ही आधार पर सारे झगड़े निपट सकते हैं। मुसलमान को यह विश्वास दिलाना होगा की संभल में जिस तरह पत्थर बाजी की घटना हुई उस तरह की पत्थर बाजी अब मुसलमान के द्वारा देश में कहीं नहीं होगी। यदि कुछ गलत होगा तो हम कानून का सहारा लेंगे बल प्रयोग का नहीं। और यदि आप इसके लिए तैयार नहीं है तो फिर कानून अपने तरीके से निपटेगा।

# ज़ूम चर्चा कार्यक्रम का सारांश

3 MARCH 2025 सेक्स एक प्राकृतिक भूख है और उसे बलपूर्वक नहीं दबाया जा सकता। न प्राचीन समय में ऐसा संभव हो पाया, न ही आज हो पा रहा है, न भविष्य में हो पायेगा। भूख और पूर्ति के बीच दूरी जितनी बढ़ेंगी, उतनी ही अपराध की स्थितियां पैदा होंगी। यदि इच्छाएं सोलह की जगह अब चौदह वर्ष में और विवाह सोलह की जगह इक्कीस की उम्र में होंगे, तो बलात्कार सहित अनेक अपराध बढ़ेंगे। इसलिए सहमति से किया गया सेक्स कभी अपराध नहीं हो सकता। सहमत सेक्स में बाधक कानून बलात्कार सहायक होते हैं। मा.सू.सं.5600

कामवासना केवल एक शारीरिक भूख नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व का एक अनिवार्य पहलू है। इसे बलपूर्वक दबाने का प्रयास न इतिहास में सफल हुआ, न वर्तमान में संभव है, और न भविष्य में होगा। जैसे जलधारा अपना मार्ग स्वयं खोज लेती है, वैसे ही कामवासना भी किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। इसे नकारने या दबाने की प्रवृत्ति समाज को या तो विकृत मानसिकता की ओर धकेलती है या अपराधों को जन्म देती है।

समाज ने हमेशा से कामवासना को नियंत्रित करने के लिए नैतिकता, धर्म और कानून का सहारा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नियंत्रण किसी के हित में है? यदि सहमति से किया गया संबंध अपराध नहीं है, तो इसे अनावश्यक रूप से क्यों रोका जाए? समाज जब जब स्वाभाविक इच्छाओं पर कठोर प्रतिबंध लगाता है, तब-तब कुरीतियाँ जन्म लेती हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि जब जब समाज ने विवाह की आयु को आवश्यकता से अधिक बढ़ाया या यौन इच्छाओं को पाप बताया, तब तब अवैध संबंध, यौन अपराध और मानसिक कुंठा में वृद्धि हुई।

विवाह न केवल समाज का एक अनुशासन है, बल्कि यह एक ऐसा ढांचा है जो व्यक्ति की इच्छाओं को संतुलित तरीके से दिशा देने का कार्य करता है। लेकिन यदि विवाह की प्रणाली इतनी जटिल और कठिन बना दी जाए कि वह प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके, तो समाज अराजकता की ओर बढ़ने लगता है। विवाह का उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति या सामाजिक स्वीकृति नहीं, बल्कि एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो मनुष्य की सहज इच्छाओं को सही दिशा में मार्गदर्शित करे।

यौनिकता को लेकर सदियों से महिलाओं के साथ भेदभाव होता आया है। पुरुषों को स्वतंत्रता दी गई, जबकि महिलाओं को संकोच और नियंत्रण के दायरे में रखा गया। यह मानसिकता न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि समाज के असंतुलन का भी कारण है। पुरुष और महिला दोनों समान रूप से यौन इच्छाओं के अधीन होते हैं, फिर यह धारणा क्यों कि एक को स्वतंत्रता मिले और दूसरे को मर्यादा का बोझ ढोना पड़े? अगर समाज में वास्तविक समानता लानी है, तो इस असमानता को जड़ से समाप्त करना होगा।

समाजविज्ञानी बजरंग मुनि जी ने कहा कि अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक है। यदि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन यदि कठोर नियंत्रण लगाया जाए, तो अवैध और अनैतिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। सही समाधान वही है जो इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करे।

कामवासना को अपराध की दृष्टि से देखने के बजाय इसे स्वाभाविक मानवीय व्यवहार के रूप में स्वीकारना चाहिए। इसका दमन नहीं, बल्कि सही दिशा में मार्गदर्शन आवश्यक है। जब तक समाज यौनिकता को अपराध या पाप मानता रहेगा, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन जिस दिन इसे सहज, सामान्य और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाएगा, उस दिन एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण होगा।

10 MARCH 2025 अपने मनोभाव और विचार दूसरे व्यक्ति तक ठीक उसी अर्थ में पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा सर्वदा श्रोता की होती है, वक्ता की नहीं। भाषा सर्वदा ऐसी होनी चाहिए, जिससे श्रोता, वक्ता के मनोभावों को आसानी से समझ सके। मा.सू.सं. 2920

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसका मुख्य उद्देश्य विचारों और भावनाओं का सटीक संप्रेषण होता है, न कि किसी विशिष्ट पहचान, धर्म या संस्कृति से इसका जुड़ाव। भाषा वक्ता की नहीं, बल्कि श्रोता की होती है—इसका चयन इस आधार पर किया जाता है कि संप्रेषित विचार अधिकतम प्रभावी और स्पष्ट हों। इसे किसी विशेष समूह, क्षेत्र या विचारधारा से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भाषा का मूल उद्देश्य केवल संचार है।

इतिहास गवाह है कि भाषा को समाज में विभाजन और राजनीतिक हितों के लिए हथियार बनाया गया। राज्य सत्ता अक्सर समाज में अलगाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कारकों—जैसे धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, लिंग, आय, उत्पादकता और भाषा—का उपयोग करती है। भाषाई राजनीति का उदाहरण भारत में भाषावार प्रांतों के निर्माण में देखा जा सकता है। यह विभाजन न केवल प्रशासनिक स्तर पर, बल्कि सामाजिक संरचना में भी स्थायी दरारें पैदा कर गया। इसी आधार पर दक्षिण और उत्तर भारत के बीच एक कृत्रिम खाई बना दी गई, जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। क्षेत्रीय नेताओं ने भाषाई अस्मिता को सत्ता हासिल करने का साधन बनाया, जिससे समाज में भाषायी आधार पर तनाव उत्पन्न हुआ।

भाषा और संस्कृति को अक्सर एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, जबकि ये दो पूर्णतः भिन्न अवधारणाएं हैं। संस्कृति विचारों, जीवनशैली और परंपराओं का परिणाम होती है, जबकि भाषा केवल विचारों के संप्रेषण का साधन। इसे किसी राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक मानना एक ग़लत धारणा है। यह भ्रम तब और गहरा हो जाता है जब भाषा को एक भावनात्मक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देना इस सोच का उदाहरण है, जिसने विचारों की स्पष्टता से अधिक भाषाई भावना को बढ़ावा दिया। किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भाषा की बजाय विचारों की सटीकता और प्रभावशीलता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि विचारों की महत्ता भाषा से कहीं अधिक होती है।

रोजगार और शिक्षा के संदर्भ में भाषा का जबरन निर्धारण घातक सिद्ध हो सकता है। भारत में अंग्रेज़ी को नौकरियों और उच्च शिक्षा की भाषा बनाने की गलती से दक्षिण भारत ने लाभ उठाया और अंग्रेज़ी को पूरी तरह अपना लिया। यह केवल एक भाषाई पसंद नहीं, बल्कि व्यावसायिक व्यावहारिकता का परिणाम था। जब संचार का आधार श्रोता की समझ हो, तो किसी पर भाषा थोपना अव्यावहारिक है। भाषा का चयन निजी परिस्थितियों, पेशेवर आवश्यकताओं और संवाद की सुगमता पर निर्भर होना चाहिए, न कि किसी बाहरी दबाव पर।

व्यक्तिगत जीवन में भाषा की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। पति-पत्नी किस भाषा में संवाद करें, शिक्षक किस भाषा में पढ़ाएं, यह पूरी तरह उनकी पसंद होनी चाहिए। भाषा को बाध्यता का विषय बनाने से केवल कृत्रिम संघर्ष उत्पन्न होते हैं। भाषा के सहज प्रवाह को बाधित करने के प्रयास व्यर्थ होते हैं, क्योंकि अंततः संवाद की प्रभावशीलता ही प्राथमिकता होती है। भाषा को लेकर अतिवाद से प्रेरित आंदोलनों का कोई औचित्य नहीं है। चाहे वह बलपूर्वक किसी भाषा के नामपट हटाने की बात हो या जबरन किसी भाषा को थोपने की नीति, दोनों ही दृष्टिकोण भाषाई स्वतंत्रता के विरुद्ध जाते हैं।

शिक्षा और प्रशासन में भाषा नीति को व्यावहारिक दृष्टि से अपनाया जाना चाहिए। शिक्षा मूल रूप से राज्य के नियंत्रण से मुक्त रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे नौकरशाही के अधीन कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा नीति को बार-बार बदला गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर अलग-अलग राज्यों में राजनीति होती रही है, जिससे भाषाई विवाद और गहरे होते गए। क्षेत्रीय भाषाओं का बढ़ता प्रभाव, हिंदी के प्रचार-प्रसार की नीतियां और अंग्रेज़ी का वर्चस्व, इन सभी के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है।

भाषा को अनावश्यक रूप से विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। यह राजनीति का औजार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और आपसी समझ को बढ़ाने का माध्यम होनी चाहिए। भाषाई संघर्षों से समाज को नुकसान होता है, जबकि राजनेताओं को लाभ मिलता है। हमारा कर्तव्य है कि हम भाषाई कट्टरता से बचें और भाषा को संवाद का माध्यम बनाए रखें, न कि सामाजिक विभाजन का कारण। जब तक भाषा को भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता रहेगा, तब तक इसका वास्तविक उद्देश्य, संवाद और संप्रेषण, धुंधला होता रहेगा। हमें इसे सहजता से अपनाना चाहिए, न कि इसे टकराव का कारण बनने देना चाहिए।

# 'स्वराज का पुनर्जागरण' कार्यक्रम की समीक्षा-

## व्यवस्था परिवर्तन को समर्पित कार्यक्रम-

ग्रेटर नोएडा दिल्ली-NCR में 29,30,31 MARCH 2025 में आयोजित "स्वराज के पुनर्जागरण" कार्यक्रम के माध्यम से वैचारिक चेतना का विस्तार करने हेतु *मां संस्थान* सक्रिय हुआ है। यह तीन दिवसीय कार्यशाला 31 मार्च 2025 को संपन्न हुई, जिसमें देशभर से आए अनेक विद्वानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध मौलिक विचारक बजरंग मुनि जी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

हमारा यह कार्यक्रम केवल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने की बात नहीं करता है, बल्कि इसका उद्देश्य एक समग्र स्वदेशी व्यवस्था को स्थापित करना और उसे अपनाना है। हमारा विश्वास है कि जब तक हम विदेशी राजनीतिक, संवैधानिक और आर्थिक ढांचे पर निर्भर रहेंगे, तब तक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग केवल एक आकर्षक विचार बनकर रह जाएगा—व्यवहार में उसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सच्चाई यह है कि वर्तमान विदेशी व्यवस्था के भीतर रहकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की बात करना न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि यह एक प्रकार का आत्मविरोध भी है। यह विचार सुनने में भले ही कर्णप्रिय लगे, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस और स्थायी परिणाम नहीं दिखाई देते। आज हमारा समाज धीरे-धीरे विदेशी विचारों और विचारकों का अनुकरण करने लगा है। इससे हमारी मौलिकता, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। इसलिए, हमें केवल स्वदेशी उत्पादों को ही नहीं, बल्कि स्वदेशी दृष्टिकोण, स्वदेशी मूल्य प्रणाली और स्वदेशी शासन व्यवस्था को भी अपनाना होगा। यही वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन की ओर पहला कदम होगा।

### समाज वैज्ञानिक: एक भूली हुई ज़रूरत की पुनःस्थापना — माँ संस्थान की अनोखी पहल

आज का समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ मौलिक समस्याएँ हैं। जो इस प्रगति के मूल में मानव स्वभाव तापवृद्धि स्थायी समस्या के रूप में बढ़ रही हैं। राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक मोर्चों पर हम अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं के पीछे एक गंभीर कारण उभरकर सामने आता है- **समाज वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों की अनुपस्थिति।**

### माँ संस्थान की सोच – केवल जागरूकता नहीं, समाधान भी

माँ संस्थान न केवल समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि उनके समाधान भी सुझाता है और उन्हें व्यवहार में लाने की दिशा में ठोस शुरुआत करता है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यह सम्मेलन केवल वैचारिक विमर्श नहीं था, बल्कि एक दिशा-निर्देश था—एक नवाचार, जो हमारे सामाजिक ढाँचे को पुनः सशक्त करने की ओर बढ़ा।

### समाज वैज्ञानिक-समस्या नहीं, समाधान की कुंजी

आज जो बुराइयाँ हमारे समाज में व्यापक रूप से दिखाई देती हैं, उनका एक कारण यह है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समाज चिंतकों को पीछे छोड़ चुके हैं। हमने तकनीकी वैज्ञानिकों को तो बहुत सम्मान दिया, परंतु समाज के विचार-मंथन करने वाले बौद्धिक नेतृत्वकर्ताओं की उपेक्षा की। इसी शून्य को भरने के लिए माँ संस्थान ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया।

### सम्मान की नई परिभाषा

पिछले वर्ष ऋषिकेश निवासी श्री ब्रजेश राय जी को माँ संस्थान द्वारा समाज वैज्ञानिक घोषित किया गया। उन्हें ₹1,00,000 की पुरस्कार राशि और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया। यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह उस सोच का हिस्सा था जो मानती है कि समाज के लिए गहन चिंतन करने वाले व्यक्तियों को आगे लाना ही सच्चा परिवर्तन है।

इस वर्ष, नोएडा के कार्यक्रम में यह सम्मान श्री ऋषि द्विवेदी जी को दिया गया। उन्होंने पुरस्कार की राशि को स्वीकार नहीं किया, परंतु संस्थान की प्रबल मान्यता है कि यह सम्मान केवल किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, बल्कि एक गंभीर दायित्व है—समाज की जटिलताओं पर विचार-मंथन करने का।

### विचारशीलता को सम्मान देना ही असली क्रांति है

यह सम्मान कोई औपचारिक रस्म नहीं है। इसके माध्यम से हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं—"समाज वैज्ञानिकों को आगे लाना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।" ब्रजेश राय जी और ऋषि द्विवेदी जी जैसे विचारक न केवल समस्याओं की गहराई में जाते हैं, बल्कि समाधान की स्पष्ट दिशा भी प्रस्तुत करते हैं।

### माँ संस्थान की प्रतिबद्धता

माँ संस्थान पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसे समाज वैज्ञानिकों का चयन करता है जो विचारशीलता, आत्ममंथन और समाज के लिए प्रतिबद्धता की मिसाल बनें। हमारी यह पहल केवल एक संस्था का प्रयास नहीं, बल्कि एक आंदोलन है—जिसका लक्ष्य है समाज को उसकी जड़ों से जोड़ना, विचारों की गहराई से जोड़ना।

### निष्कर्ष: समाज वैज्ञानिकों को पुनः केंद्र में लाना होगा

आज जब समाज अनेक स्तरों पर असंतुलन का शिकार है, तब हमें जरूरत है ऐसे चिंतकों की जो न केवल सोचें, बल्कि समाज को सोचने के लिए प्रेरित करें। माँ संस्थान इस दिशा में न केवल पहला कदम उठा चुका है, बल्कि वह लगातार उस रास्ते पर आगे भी बढ़ रहा है। यदि हम वास्तव में समाज में बदलाव चाहते हैं, तो हमें उन विचारशील मस्तिष्कों को पहचानना और सम्मानित करना होगा जो विचारों से समाज का निर्माण करते हैं।

## स्वराज का पुनर्जागरण: ज्ञान केंद्रों की नई पहल और व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन

भारत की धरती पर वैचारिक चेतना, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता की लौ कभी बुझी नहीं। आज भी वह आग जिंदा है, उसे दिशा देने का कार्य कर रहा है माँ संस्थान और उससे जुड़े वैचारिक अभियान, जिनमें अब एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है 'ज्ञान केंद्रों' की स्थापना के रूप में।

### संयुक्त प्रयास की नींव — एक ऐतिहासिक क्षण

ग्रेटर नोएडा में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान लोक स्वराज अभियान दिल्ली, ज्ञान यज्ञ परिवार रामानुजगंज और जन संसद के राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम की रूपरेखा पर सहमति बनी। यह केवल एक संगोष्ठी नहीं थी, बल्कि विचारशील लोगों को एकसूत्र में पिरोने की दिशा में एक सार्थक प्रयास था। विचार और संवाद का यह प्रयास नया नहीं है। पूर्व में 'ज्ञान तत्व' नामक पाक्षिक पत्रिका इस संवाद का प्रमुख माध्यम रही है, जिसने देश के विभिन्न हिस्सों में वैचारिक जुड़ाव बनाए रखा। वर्ष 2020 के उपरांत, तकनीकी साधनों का सहारा लिया गया और प्रतिदिन रात 8:00 से 9:30 (रविवार को छोड़कर) ज़ूम आधारित स्वतंत्र चर्चा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ — जो आज भी निरंतर जारी है।

**अब तक के दो प्रमुख संवाद माध्यम:**

**1.ज्ञान तत्व** - सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

**2.ज़ूम आधारित चर्चा कार्यक्रम** - तकनीकी स्वतंत्र विचार मंथन का प्लेटफ़ॉर्म

अब इन दोनों के साथ एक तीसरी, और ज़मीनी स्तर की पहल की गई है – देश भर में ज्ञान केंद्रों की स्थापना।

### ज्ञान केंद्र: विचार, समन्वय और परिवर्तन के तीर्थ

ज्ञान केंद्र केवल चर्चा का स्थान नहीं हैं, ये विचारशीलता की प्रयोगशाला और व्यवस्था परिवर्तन के संवाहक हैं। मुनि जी के शब्दों में यह योजना केवल विचार नहीं, बल्कि आगामी सामाजिक क्रांति की रूपरेखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब उनके रिटायरमेंट के बाद, उनके साथियों ने पूरी तरह व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी उठा लिया है। ज्ञान केंद्र के माध्यम से तीन प्रमुख दिशाओं में कार्य करने की योजना बनी है:

**1. संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन**

- विधायी अधिकार संपन्न ग्राम सभाओं का राष्ट्रीय स्वरुप विकसित करने की भूमिका तैयार करना
- संविधान में ग्राम सभाओं की भूमिका को सुनिश्चित और प्रभावी बनाना

**2. सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन**

- वर्ग विद्वेष की दिशा बदल कर वर्ग समन्वय के लिए प्रेरित करना
- परिवार व्यवस्था को सशक्त कर, हिंसा और स्वार्थ की प्रवृत्ति को कम करना

**3. वैचारिक व्यवस्था परिवर्तन**
- व्यक्ति की तर्कशक्ति को विकसित करना
- शराफत से समझदारी की ओर बढ़ने की प्रेरणा देना

### ज्ञान केंद्रों की भूमिका एवं कर्तव्य :

सभी ज्ञान केन्द्र स्वतंत्र एवं सक्षम इकाईयों की तरह कार्य करेंगी। वे सार्वजनिक सहमति के आधार मिल बैठकर अपने चिंतन के विषय एवं कार्य योजना पर निर्णय लेंगे। निम्नलिखित कार्य योजना भी प्रस्तावना मात्र है, प्रथम सार्वजनिक आयोजन में आम सहमति के लिए चर्चा की जा सकती है।

**• दैनिक, साप्ताहिक या मासिक चर्चा बैठकों का आयोजन**

**• मास में कम से कम एक बार ज़ूम चर्चा कार्यक्रम में भागीदारी**

**• वर्ष में एक सार्वजनिक कार्यक्रम, जिसमें केंद्रीय कार्यकारिणी और समीपवर्ती ज्ञान केंद्रों की सहभागिता**

**• ग्राम्य स्तर पर सामूहिक आयोजन और समन्वय**

यह संरचना केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह आंदोलन का आधार है। इससे वैचारिक संवाद तो मजबूत होगा ही, साथ ही सामाजिक परिवर्तन की ओर ठोस जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

### स्वराज का यह पुनर्जागरण

यह पहल महज़ एक संगठित प्रयास नहीं है, यह स्वराज की आत्मा को पुनः जीवंत करने का संकल्प है। अलग-अलग विचारधाराओं के लोग एक मंच पर आकर संवाद करें, सहमति-असहमति के बीच नए समाधान खोजें, और एक विचार-आधारित राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर हों — यही ज्ञान केंद्रों का उद्देश्य है। इन केंद्रों के माध्यम से एक नया वैचारिक आंदोलन आकार ले रहा है, ऐसा आंदोलन जो न केवल बदलाव की बात करता है, बल्कि उसकी नींव भी रखता है।

**ज्ञानेन्द्र आर्य (सह संपादक)**

**क्रमशः** *(नरेन्द्र सिंह जी के उपन्यास "जीवन पथ" से पूर्वप्रकाशित अंक में अपने पढ़ा कि प्रो. श्रीवास्तव अपने कालेज से विदाई के समय छात्रों के साथ धर्म, समाज और व्यवस्था के मुद्दे पर बात कर रहें है)*

## जीवन पथ

.....वह पुनः पूछता है।

नहीं! मेरे कहने का यह उद्देश्य नहीं है! बल्कि जीवन का अर्थ समाज में निहित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन धर्म की यह तथाकथित विधा समाज के साम्प्रदायिक विभाजन की दोषी है। क्योंकि यह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठनवाद को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करती है।

लेकिन दुनिया का कोई भी धर्म तो ऐसा संदेश नहीं देता है विवेक! इसके लिए उसके अनुयाई दोषी होतें हैं।

धर्म और सम्प्रदाय में यह मूल अन्तर होता है रियाज कि धर्म, व्यक्ति को यथार्थ के अनुसार आचरण बद्ध रहने की शिक्षा देता है और सम्प्रदाय उसे अपने संगठनात्मक ढाँचे के प्रति नियमबद्ध करता है। व्यवस्था के प्रारूप का नियमन करते समय शब्दों की परिभाषा इतनी सन्तुलित होनी चाहिए कि न वह कभी इतिहास के महत्व को नकार पाए और न सामाजिक यथार्थ की अवहेलना कर सके। ऐसा होने पर ही भविष्य सुदृढ बन पाता है। आचरण और नियम दोनों ही नीति संगत शब्द हैं लेकिन किस परिस्थिति में किसकी स्वीकृति होनी चाहिए और किसकी नहीं, नीति नियोजकों को समाज की ऐसी धारणाओं का विश्लेषण करते रहना चाहिए। मूलतः धर्म, व्यक्ति के लिए आचरण की मर्यादा स्पष्ट करता है लेकिन व्यक्ति को किसी संगठनात्मक नियम में आबद्ध नहीं करता, दुनिया के ये सभी तथाकथित धर्म यदि इस धर्म-दर्शन का पालन करें तो इन्हें धर्म कहा जा सकेगा अन्यथा नहीं।

तो क्या धर्म का कोई नियम नहीं होता है?

व्यक्ति यथार्थ के अनुसार आचरण करे क्या धर्म का यह नियम पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार से तो इस विषय के लिए यही पर्याप्त नियम है। वस्तुतः शब्द अपने चरित्र की व्याख्या अपने उच्चारण के साथ कर देते हैं। कभी-कभी अन्तर उन्हें समझने का ही नहीं स्वीकार करने का भी होता है। यह मेरे अन्वेषण में स्पष्ट हुआ है कि समाज के बहुत से लोग इस विषय को समझते है कि धर्म, समाज की एकरूपता का विषय है और सम्प्रदाय विभाजन का! दोनों की उत्पत्ति के नियम व आचरण की स्थिति अलग-अलग होती है। लेकिन इनका महत्व तो व्यक्ति मात्र के द्वारा इनकी स्वीकृति भाव से जुड़ा है। वास्तव में समाज से साम्प्रदायिक विभाजन को इस आधार पर समाप्त किया जा सकता है कि व्यक्ति के सम्प्रदाय अथवा तथाकथित धर्म की कोई विशिष्ट पहचान ही शेष न रहे। यह केवल वर्ग समन्वय से नियन्त्रित होने वाला विषय है। क्या साम्प्रदायिक एवं जातीय कारणों से उत्पन्न होने वाले वर्ग कभी समाज की उत्पत्ति के प्राकृतिक सत्य को स्वीकार कर सकेगें।

... ..विवेक यह प्रश्न सूचक टिप्पणी करके चुप हो जाता है। कक्ष में शून्यपरक शान्ति स्थापित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति को चिन्तन-मग्न कर देती हैं। कुछ समय पश्चात इस शान्ति को भंग करते हुए विवेक पुनः कहता है- व्यक्ति को समाज के परिवेश से अपने पूर्ववर्तियों की भूमिका कभी नहीं नकारनी चाहिए। क्योंकि वे इतिहास के नायक होते हैं। समाज की तत्कालीन धर्म पद्धति जस कारण एवं जिन महानुभावों के विचारों पर आधारित है वे हमारे आदर्श हैं, लेकिन हमे उनकी परिस्थितिजन्य समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। बशर की किन्हीं परिस्थितियों में समाज के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं के जिन विचारों को जीवन आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, यह आवश्यक नहीं होता कि वे सर्वकालिक हों, उन्हें सदैव जीवन के आधारीय सूत्र के रूप में स्वीकार किया जाता रहे। देशकाल परिस्थिति के अनुसार समाज की भौतिक संरचना में होने वाले परिवर्तन के साथ तथाकथित आध्यात्म के जड़वत सिद्धान्तों में परिवर्तन करने से नीति की अवहेलना नहीं होती है बल्कि यथार्थ के अनुसार ऐसा न करने वाला व्यक्तियों का समूह सदैव परस्पर हितों के टकराव का शिकार होता रहता है। व्यक्ति को इस दकियानूसी सोच से स्वतन्त्र होना चाहिए कि देशकाल परिस्थिति के अनुसार अपने पूर्वजों के सिद्धान्तों की समीक्षा करने से उनका अपमान होता है; बल्कि यह तो वह प्रयास होता है जो भविष्य को सुदृढ बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि किसी समय में हमारे आदर्श व्यक्तियों को भी ऐसा ही करना पड़ा होगा। समाज में यह प्रक्रिया क्रमिक रूप से जारी रहनी चाहिए। तत्काल में विद्यमान इस्लाम, इसाई, बौद्ध तथा अन्य संगठनात्मक धर्म, समाज के विभिन्न अंगों ने अलग-अलग भू-क्षेत्रों में जिस-जिस काल में स्वीकार किए होंगे उसकी तुलना वर्तमान सामाजिक परिवेश से नहीं की जा सकती है। इसलिए तब स्वीकार किए गए सिद्धान्त बिना समीक्षा के वर्तमान काल में भी स्वीकार किए जाते रहें इस विषय का कोई यथार्थपरक औचित्य नहीं हो सकता है। इतना कहकर वह एक बार प्रोफेसर की तरफ देखता है और नजरों से उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए अपनी बात आगे बढाता है- वास्तव में धर्म, परम्पराओं एवं समाज में बनने वाले तात्कालिक संगठन में समाई हुई विषय-वस्तु नहीं होती है। धर्म की वस्तुनिष्ठ पहचान केवल आचरण है और साम्प्रदायिक संगठन इसे अपनी सुविधा के अनुसार नाम नहीं दे सकते हैं। यदि विभिन्न सामाजिक संगठन लोकमत का नाम लेकर भी विभिन्न तथाकथित धर्मो को अपनी इच्छानुसार वंशानुगत रूप में स्वीकार किए रहते हैं तो इससे केवल सामाजिक समरसता का पतन होता है।

मूलतः धर्म के गुण प्रधान स्वरूप के परिभाषित अर्थ को समझते हुए समाज को इस सिद्धान्त को स्वीकार किए रहना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति विशेष की अवधारणा बिना यथार्थपरक विश्लेषण के समाज की जीवन प्रणाली नहीं बननी चाहिए। चाहे पूर्व में समाज में उन विषयों की मान्यता का स्तर कितना भी ऊँचा क्यों न रहा हो और लोकमत इस विषय में कैसी भी धारणा क्यों न बनाए, क्योंकि समाज इस विचार पर आधारित होकर समाज नहीं रह जाता है बल्कि वह वर्गो का समूह बन जाता है।

विवेक! हाँलाकि तुमने पहले भी इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज विभिन्न संगठनो से विहीन होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे इस विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि संगठनविहीन सामाजिक संरचना किस प्रकार सम्भव है? क्या अन्तरजातीय, अन्तरधार्मिक या अन्य ऐसे ही बहुमुखी संगठनों के बनने से भी समाज का नुकसान हो सकता है, हो सकता है तो क्यों और कैसे?

सामाजिक व्यवहार में संगठन शब्द का अर्थ, "किसी दशा में यथार्थ की अपेक्षानुसार एकत्रित व्यक्ति समूह" भी कहा जा सकता है। संगठन का महत्व अपने निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करके समाज में विलीन हो जाने में निहित होता है अन्यथा यह शक्ति केन्द्रीयकरण का कारण बन जाता है। ब्रह्माण्ड का प्रत्येक मानवतावादी विचार समाज का सम्यक एकत्रीकरण चाहता है और सामाजिक संगठन बनते भी इस प्रकार है कि समाज में जब कहीं घटनावश कोई परिस्थिति सन्तुलित नहीं होती है, कोई प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारण समाज को हांनि पहूँचाता है तो लोग स्वाभाविक तौर पर एकत्रित होने लगते हैं। यह जनशक्ति कई बार किसी संगठन के रूप में प्रवृत्त हो जाती है। मेरे विचार से ऐसा करके वे लोग राज्य के व्यवस्थापकों के मार्फत या कई बार स्वयं द्वारा राज्य से भी अपने शोषण का न्याय करते है। क्या ऐसे किसी परिस्थितिजन्य संगठन की उत्पत्ति का कोई अन्य कारण एवं लक्ष्य भी हो सकता है? ... .. समाज इस भ्रम में फंसकर ऐसे संगठन को और शक्तिशाली बनाता है। लेकिन किसी भी संगठन के नियामक और उसके संचालनकर्ता क्या उस संगठन की शक्ति के माध्यम से समाज को न्याय दिला पाते हैं? आप अध्ययन करेगें तो पाएंगे कि किसी अतिविशिष्ट या अपवाद स्वरूप स्थिति को छोड़कर कोई भी तथाकथित सामाजिक संगठन अपने निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। बल्कि जल्द ही वे भ्रष्टाचार एवं कई अन्य प्रकार की अनियमित्ताओं का शिकार हो जाते हैं। आप निरीक्षण करेगें तो पाएंगे कि समाज में सदैव से ही ऐसा होता आया है। क्या हम कभी संगठनवाद के इस दोष को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शक्ति संचित करना संगठन का आधारभूत लक्षण होता है। समाज में किसी भी परिस्थिति एवं प्रारूप में केन्द्रित होने वाली शक्ति जब भी निरंकुशता के भाव से ग्रस्त हो जाती है तो समाज में न्याय के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। विभिन्न संगठनों के रूप में केन्द्रित शक्ति परस्पर रूप से केवल शोषण की प्रवृत्ति को बढावा देती है जिससे समाज में गुटबाजी का विकास होता है। क्या ऐसे संगठनवाद के विकास का समाज के लिए कोई औचित्य हो सकता है? किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से लोगों को इस तथ्य पर चिन्तन करना चाहिए। हमे सोचना चाहिए कि दुनिया भर में समाज में तमाम धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य किसी भी अवधारणा के आधार पर निर्मित हुए संगठन केवल समाज में गुटबाजी का विकास करते हैं। क्योंकि वे ऐसा करके अपनी सत्ताखोरी की प्यास को शांत कर पाते हैं। सर्वविदित तथ्य है संगठन विचारों की कब्र होता है। वह परिस्थिति-विशेष में ही मानवता के प्रति उत्तरदायी हो सकता है, सदैव के लिए नहीं और यदि वह ऐसा करेगा तो उसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मूलतः समाज के ढाँचे में समाज के अतिरिक्त किसी भी संगठन की उत्पत्ति और उसका विस्तार स्वतन्त्र विचार मन्थन की प्रक्रिया का पतन किए बिना विकास नहीं कर सकता है। अन्तरजातीय, अन्तरधार्मिक तथा अन्य प्रकार के व्यापक महत्व के दृष्टिकोण के आधार पर बनने वाले संगठन भी उस समय महत्वहीन सिद्ध हो जाते हैं जब वे स्वयं को सर्वव्यापक समाज के प्रति उत्तरदायी सिद्ध न करके स्वयं के प्रति उत्तरदायी सिद्ध करते हैं। इस बारे में मैं पुनः यही कहुँगा कि कोई भी संगठन अपने ढाँचे में नए विचारों के अन्वेषण और उनकी स्वीकृति का मार्ग बन्द कर देता है। क्योंकि वह जिस दृष्टिकोण पर आधारित होता है उसी के आधार पर अपनी दिशा तय करता है, उसमें तर्क के अन्वेषण पर प्रतिबन्ध होता है। मैं तो केवल इस धरातलीय दृष्टिकोण को आधार मानकर समाज में संगठन की उत्पत्ति एवं उनके प्रभाव को नकारता हूँ और इस सिद्धान्त का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ कि समाज अपनी उत्पत्ति के कारणों को समझते हुए प्राकृतिक आधार पर संगठित रहे, लेकिन इसके आन्तरिक ढाँचे में समाज द्वारा स्थापित व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त कैसे भी संगठनों का निर्माण नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर ही समाज अपने मूल स्वरूप को जीवित रख सकता है।

क्या ऐसा होने से समाज के शोषित वर्गों को न्याय मिल सकेगा? वह पुनः प्रश्न करता है।

**क्रमशः......**

---

GYAN YAGYA
ज्ञानयज्ञ परिवार
वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की प्रयोगशाला

## ज्ञानयज्ञ परिवार

रामानुजगंज छ॰ग॰ 497220

प्रिय साथी,

आप लंबे समय से ज्ञान तत्व के विचारों से जुड़े रहे हैं और समय-समय पर बजरंग मुनि जी से भी चर्चा करते रहे हैं। मुनि जी ने अकेले कार्य करने की सीमाओं के कारण अब एक संस्थागत स्वरूप देने का निर्णय लिया है। दिनांक 29, 30 और 31 मार्च 2025 के स्वराज का पुनर्जागरण नोएडा कार्यक्रम में देश भर के कुछ समर्पित साथियों के साथ हुई बैठक में यह घोषणा की गई। मुनि जी ने उम्र और स्वास्थ्य के कारण स्वयं को इस संस्था की सक्रिय भूमिका से अलग कर लिया है, किंतु उनका अप्रत्यक्ष समर्थन और मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा।

बैठक में तीन प्रमुख विषयों पर कार्य करने का निर्णय लिया गया:

1. **संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन**: संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना और उन्हें संविधान में वर्णित 29 विधाई अधिकार स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की स्वायत्तता दिलाने के लिए जन जागरण करना।

2. **सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन**: परिवार व्यवस्था को मजबूत करना और वर्ग संघर्ष को वर्ग समन्वय में बदलने के लिए जन जागरण करना।

3. **वैचारिक व्यवस्था परिवर्तन**: भारतीय वैचारिक धरातल को मजबूत करना, ताकि हम विदेशी विचारों की अंधानुकरण से बच सकें।

इन विषयों पर आगे की योजना बनाने के लिए हम आप जैसे समर्पित साथियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करना चाहते हैं। यदि आप अपने क्षेत्र में छोटी या बड़ी बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हैं, तो कृपया अपनी स्वीकृति और पता लिखकर हमें भेजें। यदि आप बैठक आयोजित नहीं कर सकते, तब भी अपनी स्थिति पोस्टकार्ड अथवा whatsapp पर लिखकर अवश्य सूचित करें।

आप सीधे मुझसे (नीचे दिये मोबाइल नंबर पर) अथवा नरेन्द्र जी से 90124 32074 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

आपके सहयोग की अपेक्षा में,

**ज्ञानेन्द्र आर्य** कार्यालय प्रभारी
ज्ञानयज्ञ परिवार रामानुजगंज
9452705030,8318621282

ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका
www.Mardarshak.info
gyanyagyaP@gmail.com
8318621282